


हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

45 वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा



दिनांक: 25-10-2008

समय: पूर्वाहन 11:00 बजे

स्थान:- केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (मेला भवन), हरिद्वार

क्र०सं०	मद संख्या	अनुक्रमिका विषय	पृष्ठ संख्या
			01 से 18
1	44वीं बोर्ड बैठक की पुस्ति	कार्यवृत्त का अनुपालन	
2	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०१	श्री दीपक भारद्वाज पुत्र श्री पी०एस० भारद्वाज,ग्राम सुलतानपुर मजरी परगना ज्वालापुर, तहसील व ज़िला हरिद्वार स्थित भूमि पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र सं०-आर०ई०-१/४५/०८-०९ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	19
3	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०२	श्री गुलशन अदलखा, श्री श्याम अदलखा पुत्र श्री बसत अदलखा द्वारा ग्राम हरिपुरकला, ऋषिकेश, ज़िला-देहरादून के खसरा न०-१४९, हरिद्वार-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित जिसका क्षेत्रफल 3992 वर्ग मी० है पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र संख्या आर०ई०-१/३९८/०७-०८ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	20
4	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०३	ग्राम अतमलपुर बोंगला,परगना ज्वालापुर, तहसील व ज़िला हरिद्वार के खसरा न०-९२७,९२८ के कृषि भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	21
5	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०४	मै० स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्राप्तिल० के मानचित्र संख्या 17/२००६-०७ के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक।	22-23
6	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०५	हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास खाली पड़ी नजूल भूमि पर ट्रांजिट हास्टल के निर्माण के सम्बन्ध में।	24
7	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०६	हरिद्वार में आवासीय समर्पण के समाधान हेतु सरकारी / अर्द्ध सरकारी / ग्राम सभा की भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	25-26
8	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०७	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-१ में अवशेष सम्पत्तियों के विकाय हेतु मूल्य का पुर्णनिर्धारण के सम्बन्ध में।	27-28
9	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०८	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत विकाय सम्पत्तियों का मूल्यांकन विषयक।	29-30
10	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-०९	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-१ में अवशेष सम्पत्तियों का विकाय।	31

11	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१०	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आवंटन से विकाय सम्पत्तियों के विकाय के सम्बन्ध में।	32-33
12	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-११	हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आश्रमों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मानकों के आधार के सम्बन्ध में।	34-35
13	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१२	गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध में शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	36-39
14	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१३	जगतवीर पेपर इंडिया लिं० , ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र संख्या 85/०३-०४ एवं 69/०४-०५ के संदर्भ में शमन पर विचार।	40-41
15	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१४	श्री डी०को० अम्बाल, हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं०-८९/२००४-०५ के शमन की स्वीकृति विषयक।	42-43
16	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१५	निःशक्त जनों के बाधा रहित वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में।	44
17	45वीं बोर्ड बैठक मद सं०-१६	सौर जल तापक संयंत्र (Solar Water Heating System) लगाये जाने के सम्बन्ध में।	45

संलग्नक:-

1	44वीं बोर्ड बैठक के मद सं०-१	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष-2008-०९ का आय व्ययक	46-49
2	45वीं बोर्ड बैठक के मद सं०-४	मै० स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्राप्तिल० के मानचित्र संख्या 17/२००६-०७ के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक में अपील संख्या-५/२००६-०७ के आदेश की प्रति एवं शासन के प्रांक ८३९१ दिनांक २५ मार्च २००८ का संलग्नक	50-52
3	45वीं बोर्ड बैठक के मद सं०-१२	गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध में शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश।	53-60
4	45वीं बोर्ड बैठक के मद सं०-१५	निःशक्त जनों के बाधा रहित वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में अधिनियम-1995 का संलग्नक।	61-66
5	45वीं बोर्ड बैठक के मद सं०-१६	सौर जल तापक संयंत्र (Solar Water Heating System) लगाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-८७ का संलग्नक।	67

प्राधिकरण की 44 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2008 को आयोजित की गयी थी।
इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुये है। अतः निवेदन है कि
44 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाय।
प्राधिकरण की 44 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2008 के कार्यवृत्त का अनुपालन:-

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
44.मद संख्या-1	हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2008-09 का प्रस्तावित आय-व्ययक।	वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक में राजस्व आय के विकास शुल्क मद में निर्धारित लक्ष्य रु0 160.00 लाख से बढ़ाकर रु0 225.00 लाख संशोधित करते हुए प्रस्तावित आय-व्ययक को सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।	निर्णय के अनुपालन में प्रस्तावित आय-व्ययक के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। माह सितम्बर 08 तक स्वीकृत बजट के सापेक्ष आय-व्यय का विवरण संलग्न-1 पर उपलब्ध है।
44.मद संख्या-2	इन्द्रलोक आवासीय योजना फेज- I(34.50 एकड़) के सम्बन्ध में।	सचिव, ह०वियोप्रा० द्वारा बोर्ड के समक्ष योजना में विभिन्न विभागों द्वारा रु0 17.85 करोड़ की लागत से सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गयी तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया गया। बोर्ड के संज्ञान में भी लाया गया	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 45वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25-10-2008 का कार्यवृत्त ।

प्राधिकरण की 45वीं बोर्ड बैठक में दिनांक 25-10-2008 को अध्यक्ष/आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष, मेला भवन हरिद्वार के सभागार में आयोजित की गयी :-
 बैठक की उपरिथिति :-

1. श्री सुभाष कुमार, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल
2. श्री आनन्द बर्द्धन, उपाध्यक्ष, ह०वियोप्रा०, हरिद्वार
3. श्री बी०एस०धनिक, ए.डी.एम. (जिलाधिकारी, हरिद्वार के प्रतिनिधि)
4. श्री एम०सी०जोशी, अपर सचिव (सचिव, वित्त के प्रतिनिधि)
5. श्री कमल जौरा, अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, हरिद्वार
6. श्री उत्तम दास, अध्यक्ष, नगरपालिका, मुनिकीरेती
7. श्री नवीन सिंह तड़ागी, उप सचिव (सचिव, पेयजल के प्रतिनिधि)
8. श्री ए०के०दिनकर अधीक्षण अभियन्ता, (सचिव, सिंचाई के प्रतिनिधि)

अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
पदेन सदस्य	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया।
 तत्पश्चात् अध्यक्ष/आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई :-

मद संख्या-44 : प्राधिकरण की 44 वीं बोर्ड बैठक दि० 24-05-2008 की कार्यवाही की पुष्टि

एवं कार्यवृत्त का अनुपालन।

44वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त में कोई सुझाव/मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुए। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया एवं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

कि योजना में निर्भित होने वाले 90 दुर्बल आय वर्ग भवनों में से मात्र 59 ही आवंटित हुए हैं जिसपर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा रिक्त भवनों हेतु सिङ्कुल में औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके श्रमिकों की आवासीय समस्या को दूर करने तथा सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा मार्च, 2009 तक योजना को पूर्ण रूप से सभी अवस्थापना सुविधाओं सहित सम्बन्धित आवंटियों के उपयोग हेतु सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा योजना में अब तक चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44. मद संख्या—3	हरिद्वार ट्रांसपोर्ट नगर योजना—(15.25 हैक्टेयर) के सम्बन्ध में।	<p>सविवृति प्राप्त द्वारा बोर्ड के समक्ष योजना में विभिन्न विभागों द्वारा रु 39.11 करोड़ की लागत से सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी गयी तथा वर्तमान में चल रहे कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया गया जिसपर अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा सभी विकास कार्य निर्धारित समय—सीमा मार्च, 2009 तक योजना को पूर्ण रूप से सभी अवस्थापना सुविधाओं सहित सम्बन्धित आवंटियों के उपयोग हेतु सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये। बोर्ड द्वारा योजना में अब तक चल रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
-----------------	---	--	--

44. मद संख्या-4	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-2 के सम्बन्ध में।	<p>सचिव, ह०वि०प्रा० द्वारा बोर्ड के समक्ष योजना के सम्बन्ध में जानकारी दी गई कि पूर्व में इस योजना हेतु 6 अलग-अलग भूखण्डों को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया था किन्तु मैक्रो-प्लान के अभाव में उक्त के क्रियान्वयन में प्राधिकरण के समक्ष कठिनाईयों दृष्टिगोचर होने के कारण आर्कैटैक्ट का पैनल गठित करने एवं एक मैक्रो-प्लान बनाने के साथ प्राधिकरण द्वारा ही सुनियोजित विकास कराये जाने हेतु दि० 5-12-07 को अध्यक्ष/आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी तथा यह भी निर्देश दिये गये कि योजना में सिडकुल के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक ईकाईयों से उनकी आवासीय समस्याओं के सम्बन्ध में वार्ता भी की जाय तदनुसार औद्योगिक ईकाईयों की समस्याओं के दृष्टिगत प्राथमिकता पर आवासीय ईकाईयों / ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करा दिया जाय। प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
-----------------	--	---	--

44. मद संख्या-5	हरिद्वार में आई०एस०बी०टी० का निर्माण।	<p>जन-सामान्य एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा हरिद्वार में आई०एस०बी०टी० के निर्माण की मांग निरन्तर की जाती रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव से सर्वसम्मति से सभी कुम्भ / अर्द्धकुम्भ मेलों एवं अन्य मेलों के दृष्टिगत सभी पहुलओं पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि ऋषिकुल या अन्य उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने पर प्राधिकरण द्वारा आई०एस०बी०टी० के निर्माण कराये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमेदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>निर्णय के कम में ऋषिकुल ब्रह्मवर्य आश्रम की 05 हेक्टेयर भूमि पर आई०एस०बी०टी० के निर्माण हेतु अपनी सहमति हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्रदान करने हेतु प्रशासक, ऋषिकुल ब्रह्मवर्य आश्रम, हरिद्वार को पत्र सं०-1243 दिनांक 11.08.08 प्रेषित किया जा चुका है। नगर बजिस्ट्रेट/सचिव, ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रह्मवर्याश्रम, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र सं०-63 दिनांक 06.09.08 से कतिपय शर्तों के साथ आई०एस०बी०टी० के निर्माण की संस्तुति की गयी है। चैकिं प्रकरण महत्वपूर्ण पब्लिक यूटिलिटी का है। इसलिए पी.पी.पी. प्रोजेक्ट के लिए इन्फास्ट्रक्चर एडवाइजरस का पैनल तथा दिशा निर्देश से सम्बन्धित आर्थिक कार्य विभाग विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं०-2/4/7 आई.एन.एफ.ए. 25. 10.07 का राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने के उपरान्त शासन प्राप्त कंस्लेन्ट की सूची के अनुसार कंस्लेन्ट्स सें नियोजन सम्बन्धी विचार-विमर्श के उपरान्त प्राथमिक प्रस्ताव दिनांक 25.10.08 तक आमंत्रित किये गये हैं। उनके प्रस्तावों के अनुरूप ही परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।</p>
-----------------	---------------------------------------	---	--

44. मद संख्या-6 :	हरिद्वार में सिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में।	<p>बी0एच0ई0एल0 के समीप सिडकुल एरिया बनने के कारण तथा बहादराबाद क्षेत्र में औद्योगिकीकरण होने के कारण जनसंख्या में अत्याधिक वृद्धि हो गयी है जिससे स्थानीय यातायात एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। यातायात विभाग एवं किसी अन्य प्राईवेट सेक्टर द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जनसंख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए हरिद्वार शहर में सिटी बस सर्विस की आवश्यकता हेतु प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण महत्वपूर्ण पब्लिक यूटिलिटी का है। इसलिए पी.पी.पी. प्रोजेक्ट के लिए इन्फास्ट्रक्चर एडवाईजरस का पैनल तथा दिशा निर्देश से सम्बन्धित आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0-2/4/7 आई.एन.एफ.ए. 25.10.07 का राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने के उपरान्त शासन प्राप्त कंस्लेन्ट्स की सूची के अनुसार कंस्लेन्ट्स से नियोजन सम्बन्धी विचार-विमर्श के उपरान्त प्राथमिक प्रस्ताव दिनांक 25.10.08 तक आमंत्रित किये गये हैं। उनके प्रस्तावों के अनुरूप ही परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।</p>
-------------------	---	--	---

44. मद संख्या—7	हरिद्वार में सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के सम्बन्ध में।	<p>हरिद्वार शहर में वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य चिकित्सा हेतु कोई हास्पिटल उपलब्ध नहीं है। हरिद्वार के समीप मात्र जौलीग्राण्ट में ही एक हास्पिटल है। आकस्मिक स्थिति में हरिद्वार में काफी समस्या रहती है। हरिद्वार में पी०पी०पी० पद्धति पर सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल की स्थापना के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण सम्बन्धित इच्छुक संस्था को भूमि उपलब्ध करायेगा अथवा उक्त संस्था को भूमि क्रय करने हेतु नैगोसिएशन करने में सहयोग प्रदान करेगा तदनुसार प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>निर्णय के कम में नगर पालिका परिषद, हरिद्वार की ग्राम जगजीतपुर में लक्सर रोड पर मुख्य मार्ग के समीप सीवेज फार्म की लगभग 100 एकड़ भूमि का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार के साथ सविव, हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के लिए उक्त भूमि उपयुक्त पायी गयी। अतः कार्यालय पत्र संख्या 1244 दिनांक 11.08.08 के द्वारा उक्त भूमि में से 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार से अनुरोध किया गया है। चूंकि प्रकरण महत्वपूर्ण पब्लिक यूटिलिटी का है। इसलिए पी.पी.पी. प्रोजेक्ट के लिए इन्फास्ट्रक्चर एडवाईजरस का पैनल तथा दिशा निर्देश से सम्बन्धित आर्थिक कार्य विभाग विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं०-२/४/७ आई.एन.एफ.ए. 25. 10.07 का राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत करने के उपरान्त शासन प्राप्त कंस्लेन्ट की सूची के अनुसार कंस्लेन्ट्स से नियोजन सम्बन्धी विचार-विमर्श के उपरान्त प्राथमिक प्रस्ताव दिनांक 25.10.08 तक आमंत्रित किये गये हैं। उनके प्रस्तावों के अनुरूप ही परीक्षण उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।</p>
-----------------	--	--	---

44.मद संख्या-8	भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप एवं शुल्क का निर्धारण।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव से सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में निर्धारित शुल्क एक एकड़ क्षेत्रफल तक ₹ 0 5000.00 एवं एक एकड़ से अधिक प्रति एकड़ या उसके अंश पर अतिरिक्त ₹ 0 5000.00 की दर के साथ वर्ष में दो बार ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाय तथा तदोपरान्त ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
44.मद संख्या-9	खसरा नम्बर 872 मि० ग्राम अतमलपुर बौंगला परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत 2. 369 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44.मद संख्या—10	खसरा नम्बर 713, 714, 715 (मि०) ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के अन्तर्गत 3.109 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
44.मद संख्या—11	खसरा नम्बर 1548, 1549 / 4, 1549 / 5 ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के अन्तर्गत 2.50 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित औद्योगिक निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44.मद संख्या—12	<p>ग्राम सलेमपुर महदूद-2 हरिद्वार के संलग्न खसरा नं० (संलग्न तालिका के अनुसार) जिसका कुल क्षेत्रफल 40.9989 हेक्टेयर है का कृषि भू—उपयोग से औद्योगिक भू—उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
44.मद संख्या—13	<p>ग्राम बहादराबाद, हरिद्वार के संलग्न खसरा नं० 323/2, 3,4,5,6,7,8, 325/1, 326 से 332, 335, 338, 340 से 342, 344, 364, 365, 367, 368, 370, 371, 373 जिसका कुल क्षेत्रफल 22.7441 हेक्टेयर है का कृषि भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन के सम्बन्ध म</p>	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>

44.मद संख्या—14	ग्राम आनेकी हेतमपुर जिला—हरिद्वार के खसरा नं०—1459,1461, 1550 कुल क्षेत्रफल 4.062 हेक्टेयर भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी—5) से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
44.मद संख्या—15	ग्राम सलेमपुर महदूद—२ जिला—हरिद्वार के खसरा नं०— 1363,1364, 1367 कुल क्षेत्रफल 1.386 हेक्टेयर भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी—5) से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44. मद संख्या-16	<p>ग्राम कांगड़ी</p> <p>जिला-हरिद्वार के खसरा नं 0-177, 180, 181, 183 मि0, 184 कुल क्षेत्रफल 4.3234 हेक्टेयर भूमि का कृषि हरित पट्टी (पी-5) से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
44. मद संख्या-17	<p>तहसील ऋषिकेश के ग्राम गोहरीमाफी में 10. 6654 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग कृषि से सामुदायिक सुविधायें (शैक्षणिक संस्थान) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>प्रस्ताव पूर्व में ही शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>

44.मद संख्या-18 श्री डी०के०अग्रवाल हरिद्वार क्रष्णिकेश मार्ग श्यामपुर के (वाद सं०-८९ / ०४-०५) के पेट्रोल पम्प की शमन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आवेदक द्वारा इस स्थल का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ? बिना स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण क्यों किया गया। क्या स्थल मानचित्र भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रकरण के मानचित्र स्वीकृति/ शमन किये जाने हेतु स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण एजेण्डा मद सं०-३ पर अलग से प्रस्तुत है। अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

44.मद संख्या—19	भू—उपयोग परिवर्तन के प्रस्तावों के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भू—उपयोग परिवर्तन के प्रकरण निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करते हुए बोर्ड के समक्ष ही प्रस्तुत किये जाये तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	निर्णय के कम में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
44.मद संख्या—20	हरिद्वार नगर में वाहनों के पार्किंग हेतु पार्किंग स्थल के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि पार्किंग हेतु भूमि की उपलब्धता हेतु विस्तृत सर्व करते हुए यथा आवश्यक भूमि क्रय की जा सकती है। पार्किंग मल्टीपरपज के साथ विकसित की जाय इस हेतु सिड्कुल में रिथेट औद्योगिक ईकाईयों या अन्य संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	निर्णय के अनुपालन में अभी भूमि का चयन नहीं हो पाया है। भूमि उपलब्ध होने पर निर्णय के कम में कार्यवाही की जाएगी। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44.मद संख्या-21	संशोधित भवन उप-विधि के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-2269 /ट/आ-200 7-55(आ०)/ 2006 टी. सी. दिनांक 06-11-07 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत शासनादेश को अंगीकृत करते हुए तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>निर्णय के कम में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>
44.मद संख्या-22	हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 अधिग्रहण के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण की 42 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 28-12-06 में हरिलोक आवासीय योजना भाग-2 का भूमि अर्जन प्रस्ताव हेतु सचिव, ह०विप्रा० की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी हरिद्वार, जिला उद्यान अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी की एक संयुक्त समिति गठित की गयी थी जिस पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष/आयुक्त महोदय को अधिकृत किया गया था। समिति की रिपोर्ट दिनांक 30-11-07 को उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 15-12-07 में अन्तिम निर्णय लिये जाने हेतु अध्यक्ष/आयुक्त को प्रेषित की गयी जिस पर भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त किये जाने के साथ ही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश आयुक्त/अध्यक्ष द्वारा दिये गये। प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव को समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।</p>	<p>प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।</p>

44.मद
संख्या—23

हरिलोक आवासीय योजना में आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित 78 भवनों के सापेक्ष शासन द्वारा आरक्षित रिक्त 16 भवनों का विक्रय /किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव, ह०वि०प्रा० द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिलोक आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा 78 आश्रय भवनों का निर्माण कराया गया था। शासनादेश के अनुसार 16 भवनों को रिक्त/आरक्षित रखा गया था उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं तथा असामाजिक व्यक्तियों द्वारा बार-बार कब्जा किया जा रहा है। बोर्ड सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त 16 भवनों को ₹० 10.00 प्रतिदिन की दर से किराये पर दे दिये जाय तथा उन्हीं किरायेदारों को आवंटन हेतु शासन को भी प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

निर्णय के अनुपालन में कुल 49 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिनका परीक्षण हेतु समिति का गठन करके आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44. मद
संख्या—23

हरिलोक आवासीय योजना में आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित 78 भवनों के सापेक्ष शासन द्वारा आरक्षित रिक्त 16 भवनों का विक्रय /किराये पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव, ह०विंप्रा० द्वारा बोर्ड को अवगत कराया गया कि हरिलोक आवासीय योजना में प्राधिकरण द्वारा 78 आश्रय भवनों का निर्माण कराया गया था। शासनादेश के अनुसार 16 भवनों को रिक्त/आरक्षित रखा गया था उक्त भवन जीर्ण—शीर्ण हो चुके हैं तथा असामाजिक व्यक्तियों द्वारा बार—बार कब्जा किया जा रहा हैं। बोर्ड सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त 16 भवनों को ₹० 10.00 प्रतिदिन की दर से किराये पर दे दिये जाय तथा उन्हीं किरायेदारों को आवंटन हेतु शासन को भी प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

निर्णय के अनुपालन में कुल 49 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिनका परीक्षण हेतु समिति का गठन करके आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44.मद संख्या-24	श्री सत्य प्रकाश शर्मा भवन संख्या—एम०—०१ ए० शिवलोक भाग—२ के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि गणना की त्रुटि हेतु सम्बन्धित को चेतावनी देते हुए आवंटी को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अन्तर की धनराशि से मुक्त कर दिया जाय तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण करते हुए विक्रय अभिलेख सम्पादित किये जा चुके है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
44.मद संख्या-25	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नगरपालिका सीमा के बाहर आवासीय भू—उपयोग में नियमित की गयी कालोनियों में मानवित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम उक्त प्रकरणों का विस्तृत सर्वे करा लिया जाय तदोपरान्त उपाध्यक्ष की संस्तुति सहित अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

44. मद संख्या-26	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से-		
44. मद संख्या-26 (1)	हरिद्वार में जे० एन० एन० य० आर० एम० के अन्तर्गत हैरिटेज एवं टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत जे०एन०य०आर०एम० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से विस्तृत कार्य-योजना बनाने तथा कार्य-योजना के अनुरूप क्रियान्वयन किये जाने हेतु सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त करते हुए तदनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में INTECH से हरिद्वार में हरिटेज भवनों की सूची प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
44. मद संख्या-26 (2)	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सतीश चन्द्र, श्रीराम रिसोर्ट इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत होटल निर्माण के मानवित्र सं०-मान०/हरि०/आर. ई-१/ 25/ 2006 – ०७ दिनांक 22-05-08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया मानवित्र आवश्यक परीक्षण हेतु एस०टी०सी०पी० उत्तराखण्ड, देहरादून को सन्दर्भित कर दिया जाय। एस०टी०सी०पी० के परीक्षणोरान्त ही आगामी बोर्ड बैठक में तदनुसार प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में आवेदक से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा प्रस्तावित भूमि का विक्रय कर दिया गया है। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद संख्या-45 (01)

श्री दीपक भारद्वाज पुत्र श्री पी०एस०भारद्वाज द्वारा ग्राम सुलतानपुर मजरी, परगना
ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार स्थित भूमि पर होटल निर्माण
हेतु मानवित्र सं०-आर०ई०-०१/४५/०८-०९ स्वीकृति के सम्बन्ध में।

श्री दीपक भारद्वाज पुत्र श्री पी०एस० भारद्वाज द्वारा बहादरबाद से सिड्कुल को जाने वाल 45.00 मीटर चौड़े "होटल" निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग-अ के अंतर्गत आवासीय निम्न घनत्व (आर०-२) के अंतर्गत प्रदर्शित है। उक्त भू-उपयोग में होटल का निर्माण स्वीकार्य भू-उपयोग के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है परन्तु महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत होटल का निर्माण "प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू-उपयोग के अंतर्गत अनुमन्य है"। पक्ष के अनुरोध पर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को आगामी बोर्ड बैठक में रखने हेतु दिनांक 11-07-2008 को निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत स्थल बहादरबाद से सिड्कुल को जाने वाले 45.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है एवं प्रस्ताव भवन औद्योगिक इकाईयों लगायी गयी है। सिड्कुल क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित कम्पनियों द्वारा बड़ी मात्रा में अपनी जिससे प्रश्नगत होटल के निर्माण की प्रस्तावना उचित प्रतीत होती है। होटल के निर्माण से सिड्कुल क्षेत्र के उद्यमियों/व्यवसायियों को लाभ होगा तथा पर्यटन की दृष्टि से भी होटल का निर्माण उचित है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के परिपेक्ष में आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत प्रश्नगत होटल निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

-2-

45. मद संख्या-1 : श्री दीपक भारद्वाज पुत्र श्री पी०एस०भारद्वाज द्वारा ग्राम सुलतानपुर मजरी, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार स्थित भूमि पर होटल निर्माण हेतु मानवित्र सं०-आर०ई०-०१/४५/०८-०९ स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45. मद संख्या-2 : श्री गुलशन अदलखा, श्री श्याम अदलखा पुत्र श्री बसन्त अदलख द्वारा ग्राम हरिपुर कलों, ऋषिकेश जिला देहरादून के खसरा नम्बर-149, हरिद्वार-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल 3992 वर्गमीटर है पर होटल निर्माण हेतु मानवित्र सं०-आर०ई०-०१/३९८/०७-०८ की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


45. मद संख्या-3 : ग्राम अतमलपुर बोंगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 927, 928 के कृषि भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये सम्बन्ध में।


प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


45. मद संख्या-4 : मै० स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्रा०लि० के मानवित्र

संख्या-17/06-07 के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


Secretary


Vice Chairman


Chairman/Commissioner

मद संख्या-45 (02)

श्री गुलशन अदलखा, श्री श्याम अदलखा पुत्र श्री बसन्त अदलखा द्वारा ग्राम हरिपुर कंला ,ऋषिकेश जिला देहरादून के खसरा नम्बर-149,हरिद्वार-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल 3992 वर्गमीटर है पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र सं0-आर0ई0-01 / 398 / 07-08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

श्री गुलशन अदलखा, श्री श्याम अदलखा पुत्र श्री बसन्त अदलखा द्वारा ग्राम हरिपुर कंला ,ऋषिकेश जिला देहरादून के खसरा नम्बर-149, हरिद्वार-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल 3992 वर्गमीटर है पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र सं0-आर0 ई0-01 / 398 / 07-08 की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग-ब के अंतर्गत आवासीय मध्यम घनत्व (आर0-1) एवं महायोजना में प्रस्तावित 60.00 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग पर स्थित है। उक्त भू-उपयोग के अंतर्गत होटल का निर्माण स्वीकार्य भू-उपयोग के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है, परन्तु महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत होटल का निर्माण " प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू-उपयोग के अंतर्गत अनुमन्य है "।

प्रश्नगत स्थल हरिद्वार-ऋषिकेश राष्ट्रीय राज मार्ग,जो कि महायोजना में 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित है,पर स्थित है एवं भवन उपविधि के अनुसार अनुमन्य की श्रेणी में है। पर्यटकों की बढ़ती आवश्यकताओं एवं पर्यटन की दृष्टि से प्रश्नगत होटल के निर्माण की प्रस्तावना उचित प्रतीत होती है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आवासीय भू-उपयोग के अंतर्गत होटल निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

ग्राम अतमलपुर बोगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 927, 928 के कृषि भू—उपयोग को आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मनोज भारद्वाज पुत्र श्री आरोआरो शर्मा, डायरेक्टर मैसर्स पारस जैन प्रोडक्सन प्रा० लि० द्वारा ग्राम अतमलपुर बोगला, परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर — 927, 928 जिनका कुल रकवा 1.631 हेक्टेयर अर्थात् 16,310.00 वर्गमीटर पर गुप हाउसिंग के निर्माण हेतु मानचित्र जमा कराया गया है। उक्त स्थल का भू—उपयोग हरिद्वार महायोजना भाग—अ के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी०—५) के अन्तर्गत प्रदर्शित है। आवेदक द्वारा कृषि हरित पट्टी भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग में परिवर्तन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। भू—उपयोग परिवर्तन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि भू—उपयोग से आवासीय भू—उपयोग परिवर्तन अनुमन्य है। भू—उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है इसलिये भू—उपयोग परिवर्तन संबंधी उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति आयुक्त / अध्यक्ष महोदय से दिनांक 25—6—08 में प्राप्त कर प्रस्ताव शासन को पत्र संख्या—943 दिनांक 17—9—08 में संदर्भित किया जा चुका है। अतः प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:- 45(4)

मै0 स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्रार्थी के मानचित्र संख्या

17/06-07 के भू-उपयोग परिवर्तन विषयक ।

राजस्व ग्राम घुघत्यानी तल्ली पट्टी धमान्स्यू , तहसील नरेन्द्र नगर जिला टिहारी गढ़वाल में मै0 स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्रार्थी द्वारा 1505.03 क्षेत्रफल पर प्रस्तावित होटल मानचित्र संख्या 17/06-07 प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल भू-उपयोग महायोजना मानचित्र भाग-(ब) में कृषि हरित पट्टी (पी-5) होने के कारण एवं बद्रीनाथ मार्ग में गंगा जी की ओर होने के कारण उक्त स्थल पर रोड़ लेविल से उपर निर्माण की स्वीकृति न दिये जाने व अनाधिकृत कालोनी का भाग होने के कारण दिनांक 20.07.06 अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रकरण में मा0 न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल , देहरादून में अपील संख्या 05/2006-07 (आदेश की प्रति संलग्न)दायर की गयी। अपीलार्थी का तर्क था कि होटल के निर्माण के लिए भूमिधरी की भूमि को सीधे क्य किया गया तथा भूमि बद्रीनाथ मार्ग के रोड़ से लगी हुई है। अतः इसको अनाधिकृत कालोनी के प्रकरण से संयुक्त किया जाना तर्क संगत नहीं होगा तथा भूखण्ड गंगा नदी से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है यदि रोड़ लेविल से ऊँचा उठाया जाता है तो गंगा का व्यू प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकरण पर अपीलार्थी का मानचित्र अस्वीकृत किया जाना तर्क संगत नहीं है।

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील की विवेचना के आलोक में अपीलार्थी के मानवित्र प्रकरण का नियमानुसार पूर्ण विचार कर उसका विधि सम्मत निस्तारण किया जाए ।

इस सम्बन्ध में शासन के पत्रांक 416 दिनांक 26.03.08 द्वारा संचयुक्त सचिव मार्ग मुख्यमंत्री जी , उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 8391 दिनांक 25 मार्च 2008 (संलग्न) के आलोक में निर्देश दिये गये कि प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड बैठक की संस्तुति सहित स्पष्ट प्रस्ताव / अभिमत तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए ।

प्रस्तावित भू-उपयोग को व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने का पक्ष का प्रस्ताव दिनांक 02.11.06 निर्णायकीय है। उक्त मानवित्र की स्वीकृति से पूर्व प्रस्तावित भू-उपयोग को व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अन्तर्गत कृषि हरित पट्टी (पी-5) से व्यवसायिक भू-उपयोग अनुमन्य है तथा दोड़ लेविल से उपर निर्माण स्वीकृत किया जायेगा तो गंगा का व्यू प्रभावित नहीं होगा ।

अतः कृषि हरित पट्टिका (पी-5) पर्यटन भू-उपयोग में परिवर्तन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-45(05)
**हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास खाली पड़ी नजूल भूमि पर
 ट्रांजिट हास्टल के निर्माण के सम्बन्ध में।**

हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के पीछे एवं साईड में नजूल भूमि रिक्त है। वर्तमान में इस भूमि का रखरखाव नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा किया जा रहा है। हरिद्वार में कोई ट्रांजिट हास्टल नहीं है। हरिद्वार में कुम्ह / अर्द्धकुम्ह तथा मेलो के आयोजन में है जिन्हे यहाँ रहने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसको दृष्टिगत रखते हुये आवश्यक है कि उक्त भूमि पर ट्रांजिट हास्टल का निर्माण करा दिया जाय। यदि शासन द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाती है तो अवसरों पर बाहर से आने वाले अधिकारियों के निवास समस्या का समाधान किया जा सकता है। अतः भूमि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाना उचित होगा।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

-3-

45. मद संख्या-5 : हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास खाली पड़ी नजूल भूमि पर ट्रांजिट हास्टल के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45. मद संख्या-6 : हरिद्वार में आवासीय समस्या के समाधान हेतु सरकारी / अर्द्ध सरकारी / ग्राम सभा की भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45. मद संख्या-7 : इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में अवशेष सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय मूल्य का पुर्ण निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मूल्य निर्धारण नियमानुसार शासनादेशों के अनुसार किया गया तो प्रस्ताव पर बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव वापस किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45. मद संख्या-8 : ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन विषयक।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मूल्य निर्धारण नियमानुसार शासनादेशों के अनुसार किया गया तो प्रस्ताव पर बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्ताव वापस किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45. मद संख्या-9 : इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में अवशेष सम्पत्तियों का विक्रय।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि रिक्त सम्पत्ति का विक्रय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण के माध्यम से एवं साथ ही साथ इस वरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र आवेदक न मिलने से रिक्त सम्पत्ति को सामान्य वर्ग से आवंटित करने एवं व्यावसायिक व स्कूल की सम्पत्ति का निविदा सह नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अनुमति दी जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

मद संख्या-45(06)

हरिद्वार में आवासीय समस्या के समाधान हेतु सरकारी / अर्द्ध सरकारी ,
ग्राम सभा की भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध

में:-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या- 2491 दिनांक 10.10.2008 के द्वारा हरिद्वार में आर्थिक रूप से कमजोर मजदूरों / कर्मचारियों के आवास निर्मित किये जाने हेतु हरिद्वार जिले की ग्राम सभा सलेमपुर महादूद-1 की 30.00 हैक्टॉर भूमि तथा सजनपूर पीली की 29.162 हैरू भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व उत्तराखण्ड शासन से अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त सिडकुल द्वारा आवासीय कालोनी विकसित किये जाने हेतु सिडकुल के पश्चिमी सीमा पर स्थित 13 बीघा भूमि जिसका खसरा नं० 545 (एम) ग्राम सलेमपुर महादूद-1 है जो कि नोटिफाईड है प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव अपने पत्र संख्या- 0031 दिनांक 30.04.2008 के द्वारा जिला अधिकारी, हरिद्वार से किया गया है।

सिडकुल हरिद्वार के आर०एम० द्वारा अवगत कराया गया है कि सिडकुल में मै० राजा बिस्कुट के समाने सिडकुल के एक किनारे पर स्थित भूमि खसरा नं० 358 जिसका रकबा 1.178 हैक्टॉर है जो वर्तमान में मौके पर रिक्त पड़ी हुयी है तथा इसका उपयोग सिडकुल द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह भूमि Non Notified है। इस भूमि को निःशुल्क हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु जिला अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या-265 दिनांक 22.07.2008 के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक सिडकुल, देहरादून से अनुरोध किया गया है। यदि उपरोक्त भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को निःशुल्क प्राप्त हो जाती है तो हरिद्वार विकास प्राधिकरण सिडकुल में स्थापित हो रहे औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों / कर्मिकों के लिये आवासीय सुविधा विकसित कर सकता है।

हरिद्वार में बड़ी मात्रा में औद्योगिक इकाईयों के स्थापित होने से इन इकाईयों में कार्य करने कर्मचारी / श्रमिकों को आवासीय समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्राधिकरण के पास आवासीय समस्या के निदान हेतु लैण्ड बैंक नहीं है। विगत बोर्ड बैठक में भी सरकारी / अर्द्ध सरकारी / ग्राम सभाओं आदि की रिक्त पड़ी भूमि को प्राप्त करके प्राधिकरण को अपना लैण्ड बैंक बनाने के निर्देश दिये गये थें। अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि को प्राप्त कर आवासीय समस्याओं के निदान हेतु नियमानुसार भवनों / भूखण्डों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या-45(07)

मद सख्त्या-४३(८)
इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-१ में अवशेष सम्पत्तियों के विकाय हेतु
पर्याप्त संस्करण की प्राप्ति के लिए निर्धारण के सम्बन्ध में:

विकास मूल्य का पुनर निधारण के समय विकास कार्य हरिद्रार विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस योजना में संशोधित तलपट मानचित्र के अनुसार विभिन्न श्रेणी के कुल 538 भूखण्ड का विकास एवं 90 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में इस योजना के सम्पत्तियों के विकास हेतु रूपये- 2700.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से पंजीकरण खोला गया था। उक्त प्रस्तावित भूखण्डों एवं भवनों का आंवटन शासनादेश संख्या-1286 / वी-आ-/ 06-495 (आ०) / 2004 दिनांक 26. 07.2006 में उल्लिखित आरक्षण सुविधा के आधार पर विभिन्न श्रेणी के 477 भूखण्डों का आंवटन किया गया है।

आंवटन किया गया है।
दुर्बल आर्य वर्ग के 90 तीमंजिले भवनों का विक्रय मूल्य पंजीकरण के समय भूतल हेतु रुपये- 65000.00, प्रथम तल हेतु रुपये- 55000.00 तथा द्वितीय तल हेतु रुपये- 60000.00 रखा गया था। भवन निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत आंगणन के आधार पर भवनों का विक्रय मूल्य भूतल के भवन हेतु रुपये- 155990.00, प्रथम तल हेतु रुपये- 108237.00 तथा द्वितीय तल हेतु रुपये- 120013.00 निर्धारित किया गया है। उक्त विक्रय मूल्य में भूमि मूल्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रथम चरण में आंवटित सभी आवेदकों को उपरोक्तानुसार संशोधित भवन मूल्य से पत्र भेजकर तथा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करा कर अवगत करा दिया गया है।

करा कर अवगत करा दिया गया है।
वर्तमन में इस योजना में विभिन्न श्रेणी के 61 भूखण्ड एवं विभिन्न तलो पर 32 दुर्बल आय वर्ग के भवन रिक्त हैं। वर्तमान में इस योजना में किये जा रहे विकास कार्यों पर हो रहे संशोधित व्यय एवं भूमि मूल्य पर नियमानुसार ब्याज जोड़ते हुये इस योजना में आंवटन से रिक्त सम्पत्तियों के विक्रय मूल्य रूपये- 4700.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है।

साथ ही रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों का विक्रय आवासीय दर को दो गुना करते हुये रूपये- 9400.00 प्रति वर्ग मीटर न्यूनतम निर्धारित किया गया है।

अतः इन्द्रलोक आवासीय योजना प्रथम चरण में अवशेष सम्पत्ति को विक्रय करने हेतु संशोधित विक्रय मूल्य रूपये- 4700.00 प्रति वर्ग मीटर की दर की दर स्वीकृत की गयी है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-45 (8)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन विषयक:-

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर योजना का विकास कार्य किया जा रहा है। इस योजना में विभिन्न श्रेणी के ट्रांसपोर्ट आफिस-56, स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकाने-56, शो-रूम-08, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-02, गोदाम (बड़े)-14, गोदाम (छोटे)-20, होटल/रेस्टोरेंट-01, ढाबा-02, वेईग्रिज-03, पेट्रोल पम्प-1, कामर्शियल काम्पलेक्स-1, धर्मशाला-1, गेस्ट हाउस-1, नर्सिंग होम-1, के साथ-साथ पब्लिक यूटिलिटी एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु आर०टी०ओ० आफिस-1, टेलीफोन एक्सचेन्ज-01, पुलिस स्टेशन-1, फायर स्टेशन-1, ट्रक यूनियन आफिस-1, चैक पोस्ट-1, कंट्रोल रूम-1, पब्लिक यूटिलिटी-4, मेंटीनेन्स एवं वाटर वर्क्स-1, इलैक्ट्रिक सब स्टेशन-1 के भूखण्डों का प्राविधान है।

प्रथम चरण में गोदाम (बड़े)-13, गोदाम (छोटे)-19, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-04, विभिन्न दुकान-50, ट्रांसपोर्ट आफिस-50, शोरूम-08 भूखण्डों हेतु पंजीकरण दिनांक 16.06.05 से 15.07.05 तक खोला गया। प्रथम चरण में मूल्यांकन दर रु0-5500.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी।

द्वितीय चरण में गोदाम (बड़े)-11, गोदाम (छोटे)-18, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-04, विभिन्न दुकानों-30, ट्रांसपोर्ट आफिस-27 भूखण्डों का पंजीकरण दिनांक 11.12.06 से 10.01.07 तक खोला गया। प्रथम चरण के एक वर्ष उपरान्त विकास की दरें बढ़े के कारण भूखण्ड का मल्यांकन रु0-6400.00 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया। इसका प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के मद संख्या 40 (04) पर रखा गया। बोर्ड द्वारा बढ़ी हुई आंकलित दरों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आयुक्त/अध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त/अध्यक्ष

महोदय के प्रस्ताव दिनांक 17 जून 06 को प्रेषित किया गया। दिनांक 28.08.06 में शासन द्वारा बढ़ी हुई दर रु0-6400.00 प्रति वर्ग मी0 की दर से नीलामी के माध्यम से अवशेष सम्पत्ति विक्रय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

अवशेष सम्पत्ति ड्रांसपोर्ट आफिस-29, विभिन्न दुकानों-31, शोरुम-8, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-1, गोदाम (बड़े)-10, गोदाम (छोटे)-10, होटल/रेस्टोरेन्ट-1, ढाबा-2, वेईग्रिज-3, पेट्रोल पम्प-1, कमर्शियल काम्पलेस-1, धर्मशाला-1, गेस्ट हाउस-1, नर्सिंग होम-1 है। दर वित्तीय वर्ष 2006 तक स्वीकृत थी। वर्तमान में इस योजना के विकास कार्यों पर हो रहे वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2006 से मार्च 2009 तक ब्याज की गणना करते हुए अवशेष सम्पत्तियों के विक्रय हेतु भूमि का मूल्यांकन रु0-9100.00 प्रति वर्ग मीटर आता है। अतः अवशेष सम्पत्तियों हेतु भूमि की दर रु0-9100.00 प्रति वर्ग मी0 निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-45(09)

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 में अवशेष सम्पत्तियों का विकाय:-

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग-1 का निर्माण एवं विकास कार्य हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। योजना में विभिन्न श्रेणी के कुल 538 भूखण्ड, दुर्बल आय वर्ग के 90 तिमंजिले भवन, दो व्यवसायिक भूखण्ड कमशः 10074.20 वर्ग मीटर, 552.87 वर्ग मीटर, दुकानों हेतु विभिन्न साईंज के 22 भूखण्ड एवं 1058.06 वर्ग मीटर के स्कूल के भूखण्ड का सृजन किया गया है। उक्त आवासीय भूखण्डों एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों के आवटन हेतु पंजीकरण शासनादेश संख्या 1286 / वी-आ-/ 06-495 (आ०) / 2004 दिनांक 26.07.2006 में विहित प्राविधानों के अनुसार खोला गया था। पंजीकरण उपरान्त उक्त प्रस्तावित विभिन्न श्रेणी के कुल 538 भूखण्डों एवं 90 दुर्बल आय वर्ग तिमंजिले भवनों में से कमशः 477 भूखण्डों एवं 58 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का आवंटन कर दिया गया है। आवंटित भूखण्डों के भूखण्ड संख्या का लाटरी ड्रा भी सम्पादित कर दिया गया है।

अतः प्रस्ताव है कि इस योजना में रिक्त 61 भूखण्ड, विभिन्न तलों पर स्थित दुर्बल आय वर्ग के 32 भवनों का विकाय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकरण के माध्यम से एवं साथ ही साथ इस चरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र आवेदक न मिलने से उक्त से रिक्त सम्पत्ति को समान्य वर्ग से आवंटित करने एवं व्यवसायिक व स्कूल की सम्पत्ति का निविदा सह नीलामी के माध्यम से विकाय करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 45(10)
द्रांसपोर्ट नगर योजना में आवंटन से रिक्त सम्पत्तियों के विक्रय के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा द्रांसपोर्ट नगर योजना का विकास कार्य किया जा रहा है। इस योजना में विभिन्न श्रेणी के द्रांसपोर्ट आफिस-56, स्पेयर पार्ट्स आदि की दुकाने-56, शो-रूम-08, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-02, गोदाम (बड़े)-14, गोदाम (छोटे)-20, होटल/रेस्टोरेन्ट-01, ढाबा-02, वैईग्रिज-03, पेट्रोल पम्प-1, कामशिय काम्पलेक्स-1, धर्मशाला-1, गेस्ट हाउस-1, नर्सिंग होम-1, के साथ-साथ पब्लिक यूटिलिटी एवं आवश्यक सुविधाओं हेतु आरटी0ओ0 आफिस-1, टेलीफोन एक्सचेन्ज-01, पुलिस स्टेशन-1, फायर स्टेशन-1, ट्रक यूनियन आफिस-1, चैक पोस्ट-1, कंट्रोल रूम-1, पब्लिक यूटिलिटी-4, मेंटीनेन्स एवं वाटर वर्क्स-1, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन-1 के भूखण्डों का प्राविधान है।

प्रथम चरण में गोदाम (बड़े)-13, गोदाम (छोटे)-19, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-04, विभिन्न दुकान-50, द्रांसपोर्ट आफिस-50, शोरूम-08 भूखण्डों हेतु पंजीकरण दिनांक 16.06.05 से 15.07.05 तक खोला गया। शासनादेश में आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेणी गोदाम (बड़े)-2, गोदाम (छोटे)-1, विभिन्न दुकानों-20, द्रांसपोर्ट आफिस-23 भूखण्डों का आवंटन निर्धारित दर ₹0-5500.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया।

द्वितीय चरण में गोदाम (बड़े)-11, गोदाम (छोटे)-18, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-04, विभिन्न दुकानों-30, द्रांसपोर्ट आफिस-27 भूखण्डों का पंजीकरण दिनांक 11.12.06 से 10.01.07 तक खोला गया। विभिन्न श्रेणियों में कुल 114 आवेदन प्राप्त हुए। उक्त श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों से शासनादेश के कम आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत गोदाम (बड़े)-2, गोदाम

-4-

45.मद संख्या-10 : द्रांसपोर्ट नगर योजना में आवंटन से रिक्त सम्पत्तियों के विक्रय के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि रिक्त सम्पत्ति का विक्रय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण के माध्यम से एवं साथ ही साथ इस चरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र आवेदक न मिलने से रिक्त सम्पत्ति को सामान्य वर्ग से निविदा सह नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवंटन किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45.मद संख्या-11 : हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र में आश्रमों के भवन मानवित्रों की स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि तब तक प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45.मद संख्या-12 : गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियों अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध में शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45.मद संख्या-13 : जगतबीर पेपर इण्डिया लि0, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानवित्र

सं0-85/03-04 एवं 69/04-05 के सन्दर्भ में शमन पर विचार।
प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।



Secretary



Vice Chairman



Chairman/Commissioner



(छोटे)-09, विभिन्न दुकानों-05, ट्रांसपोर्ट आफिस-3 भूखण्डों का आवंटन निर्धारित दर ₹0-6400.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया।

अवशेष सम्पत्ति ट्रांसपोर्ट आफिस-29, विभिन्न दुकानों-31, शोरुम-8, वर्कशाप/सर्विस स्टेशन-1, गोदाम (बड़े)-10, गोदाम (छोटे)-10 का विक्रय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय चरण में पंजीकरण के माध्यम से किया जाना का प्रस्ताव है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस चरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र आवेदक न मिलने पर उक्त से दिक्कत सम्पत्ति को सामान्य वर्ग से आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है एवं होटल/रेस्टोरेंट-1, ढाबा-2, वेईग्रिज-3, पेट्रोल पम्प-1, कमर्शियल काम्पलेस-1, धर्मशाला-1, गेस्ट हाउस-1, नर्सिंग होम-1 का विक्रय निविदा/सह नीलाम के माध्यम से विकास दर एवं व्याज का निर्धारण करते हुए ₹0-9100.00 प्रति वर्ग मीटर आंगणित किया गया है। दिक्कत निविदा / सह नीलामी का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं- 45 (11)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र में आश्रमों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

प्रशासनिक एवं नियोजन की दृष्टिकोण से विकास क्षेत्र में 'आश्रम' के मानचित्रों हेतु न्यूनतम क्या-क्या अपेक्षायें होनी चाहिए, इस हेतु एक समिति का गठन किया था। गठित समिति द्वारा आश्रम के निर्माण के सम्बन्ध में अपनी आख्या दी गई। समिति की आख्या के आधार पर प्रस्ताव निम्न प्रकार हैः—

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के महायोजना भाग: 'अ, 'ब' के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य भू—उपयोग के अन्तर्गत आश्रम का निर्माण अनुमन्य किया जाता रहा है। इन आश्रमों के मानचित्रों की स्वीकृति में कमरे मय शौचालय, किचन, भोजनालय व सत्संग हाँल इत्यादि का प्राविधान कराया जा रहा है। अधिकांश भवनों का निरीक्षण करने पर पाया जाता है निर्माणकर्ता द्वारा आश्रम निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इन निर्माणों को ग्रुप हाउसिंग व होटलों में परिवर्तित कर लिया जाता है, जिससे आश्रम का प्रयोजन ही विलुप्त हो जाता है। इन भवनों में कतिपय व्यक्तिओं द्वारा लीजरेण्ट आदि पर आन्तरिक भवनों को क्रय भी कर लिया जाता है तथा उन व्यक्तियों द्वारा उक्त भवनों के विक्रय विलेख सम्पादित कराने हेतु निर्माणकर्ता एवं विभागों से कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की जाती है। जिससे प्राधिकरण के समक्ष इस प्रकार के प्रकरणों के निस्तारण करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधि में 'आश्रम' के निर्माण के सम्बन्ध नियोजन की दृष्टि से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। पूर्व में 'आश्रम' भवन को सामूहिक आवास के अन्तर्गत स्वीकृत करते हुये आवासीय नियमों के अन्तर्गत निर्माण की स्वीकृति दी जाती रही है। साथ ही शासनादेश सं- 124 दिनांक 31-7-2000 के अनुसार गंगा नदी तट से 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत 'आश्रम' आदि के निर्माण शासनादेश में उल्लेखित कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य किये जाते रहे हैं। जिसमें भू—आच्छादन 35 प्रतिशत तथा एफ०ए०आर० 1.50 अनुमन्य है। वर्तमान में शासनादेश सं- 2269 दिनांक 06-11-07 के अनुसार 'आश्रम' हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं एवं प्रस्तावित महायोजना प्रारूप- 2025 में भी 'आश्रम' निर्माण हेतु जोनिंग रेग्युलेशन में पृथक से प्राविधान प्रस्तावित है।

अतः नियोजन एवं विधिक दृष्टिकोण से आश्रम हेतु नवीन प्रस्तावनाओं में निम्न प्रावधान अंगीकृत किये जाने उचित होगे।

(1) आश्रम निर्माण हेतु आवेदक द्वारा आश्रम के नाम से धार्मिक एवं चैरिटेबल ट्रस्ट / सोसायटी के स्प में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।

35

(2) आश्रम हेतु भू- स्वामित्व अभिलेख ट्रस्ट / सोसायटी के नाम से पंजीकृत डीड राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना आवश्यक है।

(3) आश्रम के मानचित्र आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा नियत प्रारूप में इस आशय का शपथ-पत्र लिया जाये कि वह उपरोक्त आश्रम का प्रयोग धार्मिक एवं सामुदायिक उपयोगों में किया जायेगा एवं उनको अलग-2 भाग में लीज या विक्रय न ही किया जायेगा। यदि उक्त उपयोग से भिन्न करता है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि भवन मानचित्र की स्वीकृति की अनुमति वापस ले लें। मानचित्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख शपथ-पत्र का भाग होने चाहिये।

(4) ट्रस्ट / सोसायटी के उददेश्य नियमावली व ज्ञापन की प्रति संलग्न करनी होगी।

(5) आश्रम के मानचित्रों में नियोजन की दृष्टि से निम्न प्रावधान आवश्यक होंगे।

(अ) आश्रम में निर्मित किये जाने वाले प्रस्तावित कुल आवासीय कमरों में से अधिकतम 10 प्रतिशत आवासीय कमरे मय शौचालय व स्नानागार के ही अनुमन्य होंगे। शेष कमरों हेतु सामूहिक शौचालयों एवं स्नानाघर की व्यवस्था अलग से किया जाना आवश्यक होगा।

(ब) आश्रम की प्रस्तावना में प्रवचन / संत्संग हाल, पाकशाला, चिकित्सा कक्ष, पुस्तकालय कक्ष भोजनालय एवं डारमेट्री का प्रावधान अनिवार्य हों। शेष तकनीकी प्राविधान भवन निर्माण व विकास उपविधि के अनुसार करने होंगे। उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद सं-45(12)

गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध में शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं-1742/V/आ०-2008-19(आ०)/07 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 द्वारा पुराने भवनों के जीर्णद्वार / renovation के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से शासन को तत्काल अवगत कराने हेतु लिखा गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उ०प्र०शासन के शासनादेश सं०-2810/9-आ०-1-98 दि० 23-09-1998 एवं 320/9-3-2000-127/काम्प/99 दि० 5-02-2000 एवं शासनादेश सं०-124/सी०एम०/9-आ०-3-2000 दि० 31-07-2000 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए गंगा नदी तट के दोनों ओर हरिद्वार एवं ऋषिकेश में 200 मीटर की परिधि के अन्तर्गत मात्र धार्मिक संस्थाओं के आश्रम, मठ, मन्दिर के ही भवन मानचित्र ही प्राधिकरण द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासनादेश के अनुसार प्राधिकरण में प्रचलित भवन उपविधि के मानकों के आधार पर ही स्वीकृत किये जाते हैं। प्रतिबन्धित द्वोत्र में उ०प्र०शासन द्वारा निम्नलिखित शासनादेश जारी किये गये हैं। (सलग्नक-पृष्ठ-53)

- 1- उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-2810/9-आ०-1-98 दि० 23-09-1998 द्वारा यह निर्देशित किया गया कि गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार गतिविधियां अनुमन्य न की जाय। इसी क्रम में शासनादेश सं०-4503 दिनांक 16-11-1998 लागू किया गया। (सलग्नक-पृष्ठ-54)
- 2- इसके उपरान्त उ०प्र०शासन के शासनादेश सं०-320 दि० 5-02-2000 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उक्त प्रतिबन्ध बने धार्मिक स्थल, आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य कार्यों के लिये निम्नलिखित शर्तों के साथ शिथिल कर दिये जाये:-

- (a) हरित पट्टी के अनुरूप भूखण्ड के 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा। एफ.ए.आर. 1.5 प्रतिशत
- (b) इनेज सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायेगा वरन् अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जानी होगी।
- (c) यदि क्षेत्र में सीधे व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/ धर्मशाला आदि का प्रयोजन में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि गंगा नदी में मल न जाने पाये।

3— इसके उपरान्त उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0-124 दि0 31-07-2000 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0-320 दि0 5-02-2000 में किये गये शिथिलीकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थानों का जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं, जहां का स्वरूप प्रमुखतयः तीर्थ है वहां पर मठ, मन्दिर आश्रम निर्माण कतिपय शर्तों के साथ अनुमन्य कर दिया जायें। यह शर्तें निम्न प्रकार से होगी :—(सलग्नक-पृष्ठ-55 से 58)

- (a) भू-आच्छादन 35 प्रतिशत तथा तल क्षेत्र अनुपात(एफ0ए0आर0) 1.50 सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप ही अनुमन्य हो।
- (b) आवेदक की भवन मानचित्र अनुमोदन के साथ एक योजना प्रस्तुत करनी होगी जिसमें सुनिश्चित हो कि गंगा नदी का प्रदूषण नहीं होगा।
- (c) ड्रेनेज सीधे नदी में अवमुक्त नहीं किया जायेगा बल्कि अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।
- (d) यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान / धर्मशाला आदि इन प्रयोजन में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि नदी में मल आदि न जाने पाये।
- (e) यह योजनाधिकार जलनिगम / जल संस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार न पाये जाने पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

4— इसके उपरान्त उ0प्र0शासन के शासनादेश सं0-840 दिनांक 11-04-2001 (जो कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नहीं किया)(सलग्नक-पृष्ठ-59, 60) यह निर्णय किया गया कि गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन भवनों, हैरिटेज भवनों के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य श्रेणी के सभी निर्मित भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार से सम्बन्धित सभी कार्य अनुमन्य किये जाये अन्यथा ऐसे कार्य बिना अनुमति के होंगे और उन्हें रोके जाने पर प्रतिरोध होगा। इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से भी प्राचीन संस्कृति की अश्रुणता को बचाये रखा जाना आवश्यक है। अतः एवं हैरिटेज भवनों के संरक्षण के सम्बन्ध में इन्टेक (INTACH) के परामर्श से कार्य अनुमन्य किये जायें। परन्तु उक्त पर अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इन भवनों में सीवरेज की ऐसी व्यवस्था हो कि उसका निस्तारण नदी में न करते हुए नगर इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाना आवश्यक होगा। शासनादेश सं0-4503 दि0 16-11-98 द्वारा गंगा नदी तट पर 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण सम्बन्धी प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक शिथिल / संशोधित समझा जायें। (सलग्नक-पृष्ठ-54)

**वर्तमान में गंगा नदी से 200 मीटर की परिधि में निर्माण के सम्बन्ध में निम्न कठिनाईयों आ रही है:-
कठिनाईयों :-**

1— यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा नदी तट के 200 मीटर की परिधि में वर्तमान में आवासीय भवन, व्यवसायिक भवन, होटल, धर्मशाला, गैरस्ट हाउस इत्यादि भवन निर्मित हैं जो प्राधिकरण गठन से पूर्व के हैं जिनमें वर्तमान में पुर्ननिर्माण, जीर्णोद्धार की आवश्यकता होती है। जीर्ण श्रीण भवनों पर पुनः निर्माण की आवश्यकता पड़ने पर जन-सामान्य द्वारा निर्माण किया जाता रहा है। क्योंकि जन-सामान्य की इस आवश्यकता / कठिनाई का कोई समाधान / स्पष्ट मार्गदर्शिका प्राधिकरण में नहीं है। जिसके कारण ऐसे प्रकरणों पर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति नहीं दी जा रही है तथा जनता का आकोश प्राधिकरण पर बना रहता है।

2— संशोधित भवन उपविधि के अनुसार मठ, मन्दिर, आश्रम हेतु 1000 वर्ग मीटर का भूखण्ड होना चाहिए जबकि जिस कारण 200 मीटर में संशोधित भवन उपविधि के अनुसार 90 प्रतिशत भूखण्ड ऐसे हैं जिन पर मठ, मन्दिर, आश्रम भी स्वीकृत नहीं किये जा सकते। अतः अनाधिकृत निर्माण प्रारम्भ करने पर बाध्य होकर प्राधिकरण को उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती है। अन्य किसी प्रकार का निर्माण स्वीकृति न दिये जाने पर प्राधिकरण को जनाक्रोश का सामना भी करना पड़ता है।

3— हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई विभाग के अनुसार सर्वानन्द घाट से शमशान घाट खड़खडी व हर की पौड़ी होते हुए डामकोठी तक बहने वाली सप्लाई चैनल एवं डामकोठी के पश्चात् सतीघाट कनखल होते हुए दक्ष मन्दिर तक बहने वाली स्केप चैनल को गंगा नदी को सिचाई के अभिलेखों में स्केप चैनल के रूप में दर्शित होना बताया गया है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त धारा को गंगा नदी मानते हुये इस क्षेत्र में मठ, मन्दिर आश्रमों के प्रस्तावों को छोड़कर अन्य किसी निर्माण के प्रस्ताव पर स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

सुझाव

- 1— उपरोक्त कठिनाईयों को दूर करने हेतु गंगा नदी से 200 मीटर के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन निर्माण अनुमत्य किये जाने पर विचार किया जा सकता है:-
- (क)- इन भवनों में सीवरेज की ऐसी व्यवस्था हो, जिसका निस्तारण नदी में न हो यदि करनी हो तो नगर की सीवर व्यवस्था के माध्यम से हो। जहाँ सीवर व्यवस्था न हो वहाँ पर आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी अत्याधुनिक सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये तथा यह सुनिश्चित करें कि गंगा नदी में प्रदूषण न हो।

- (ख)– ड्रेनेज सीधे नदी में अवमुक्त न किया जायेगा बल्कि अन्य नालों आदि में ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।
- (ग)– हैरीटेज भवनों के संरक्षण के सम्बन्ध में इन्टरक के परामर्श से कार्य कराया जाय।
- (घ)– भू- आच्छादन 35 प्रतिशत व तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ०ए०आर०) 1.50 सार्वजनिक सुविधाओं अनुरूप ही भवन उपविधि के अनुसार ही अनुमन्य हो।
कृपया उपरोक्त प्रस्ताव विचारार्थ व शासन को सन्दर्भित करने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या:- 45(13)

जगतबीर पेपर इण्डिया लि0, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र संख्या
85/03-04 एवं 69/04-05 के संदर्भ में शमन पर विचार ।

वाईस प्रेसीडेन्ट स्टेलिंग होलीडे रिसोर्ट द्वारा रिसोर्ट उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित मानचित्र का प्राधिकरण द्वारा मान0 संख्या ऋषि0/31/95-96 की स्वीकृति दिनांक 15.06.96 को प्रदान की गयी थी । पुनःजगतबीर पेपर इण्डिया प्रा०लि० के संशोधित ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र सं०-ऋषि०/85/2003-04 दिनांक 09.08.04 को स्वीकृति किया गया । इसी स्थल पर अंतिम बार प्रस्तुत पुनः संशोधित मानचित्र संख्या 69/2004-05 दिनांक 07.06.05 को स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इस संशोधित मानचित्र के आलोक में गंगा नदी तट से 200मी० पर लगी रोक के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड-2, नरेन्द्र नगर की अनापत्ति प्राप्त की गयी थी । अनापत्ति में स्पष्ट किया गया प्रस्तावित निर्माण 200 मीटर के पश्चात प्रस्तावित किया गया है । प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति से कोई आपत्ति नहीं है । स्थल पर स्वीकृति से भिन्न निर्माण कराये जाने पर वाद संख्या 26/06-07 योजित किया गया । स्थल पर विचलन पाया गया । विचलन गंगा नदी से 200 में सीमा से प्रभावित है । गंगा नदी से 200मी० में प्रभावित निर्माण के शमन के सम्बन्ध में सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की आधुनिक परियोजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव पर प्रकरण प्राधिकरण की 43वीं बोर्ड के समक्ष लाया गया । प्राधिकरण बोर्ड में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि 200 मीटर क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के लिए प्रकरण शासन में विचाराधीन है । अतः शासन के निर्णय तक ऐसे

प्रकरणों को स्थगित रखा जाए एवं इस सम्बन्ध में केवल शासन के निर्णय के अनुरूप ही कार्यवाही की जाए।

अवगत कराना है कि 200 मीटर के प्रकरण में अभी तक शासन से कोई निर्णय नहीं हो पाया है। शासनादेश सं0-124सी0एम दिनांक 31 जुलाई 2000 में गंगा नदी तट से 200 मीटर की रोक सम्बन्धी स्पष्टीकरण में यह उल्लेख है कि यदि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था नहीं है तो निवास स्थान/ धर्मशाला आदि इन प्रयोजनों में अनुमन्य नहीं की जायेगी ताकि नदी में मल इत्यादि न जावे । 43वीं बोर्ड बैठक के समक्ष पक्षकार/विपक्षी द्वारा सीवरेज डिस्चार्ज एवं अन्य वेस्ट गंगा नदी में प्रवाहित न हो इसकी आधुनिक व्यवस्था किये जाने का उल्लेख किया गया है। विपक्षी/पक्षकार के द्वारा सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट परियोजना के प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। जिसे गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार से परीक्षण कराया जायेगा।

अतः अनाधिकृत निर्माण के शमन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या:- 45(14)

श्री डी०के०अग्रवाल, हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या 89/04-05 के शमन की स्वीकृति विषयक।

हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग पर श्यामपुर में श्री डी०के०अग्रवाल द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प का उत्तराखण्ड/उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की घारा-27/28 के अन्तर्गत वाद संख्या 89/04-05 योजित किया गया। निर्मित पेट्रोल पम्प के शमन के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा आवेदन किया गया। इस सम्बन्ध में 44वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-18 पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बोर्ड में आयुक्त/अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि आवेदक द्वारा इस स्थल का मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? बिना स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण क्यों किया गया? क्या स्थल मानचित्र भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में प्रकरण के मानचित्र स्वीकृति/शमन किये जाने हेतु स्थिति स्पष्ट करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

-5-

45.मद संख्या-14 : श्री डी०के०अग्रवाल, हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं०-89/04-05 के शमन की स्वीकृति विषयक।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण अस्तीकार करते हुए वापस किया किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बोर्ड द्वारा विगत 44वीं बैठक में की गई टिप्पणियों पर क्रमवार आख्या तैयार करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

45.मद संख्या-15 : निःशक्त जनों के बाधा रहित वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अंगीकार करते हुए अनुमोदित किया किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को भी सन्दर्भित किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45.मद संख्या-16 : सौर जल तापक संयंत्र (Solar Water Heating System) लगाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।


45.अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

(क) श्रीमती बलवीर कौर पल्ली श्री गुरुबवन सिंह द्वारा ग्राम हरिपुरकला के खसरा सं०-84(ख) व 85-86(क) हरिद्वार-ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 5380.00 वर्ग मी० पर होटल गौड़विन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

(ख) पार्वती लोक अनाधिकृत कालोनी के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम भू-स्वामित्व की पुष्टि करते हुए परीक्षण किया जाय तत्पश्चात अगले बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा आयुक्त/अध्यक्ष महोदय को प्राधिकर की बोर्ड बैठक हेतु व्यस्ततम् कार्यक्रमों में से समय प्रदान करने हेतु विशेष आभार व्यक्त किया गया गया तथा अन्त में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक को समाप्त किया गया।

Secretary

Vice Chairman

Chairman/Commissioner

प्रश्नगत स्थल की स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.05 स्पष्ट किया है कि जो पेट्रोल पम्प लगाया गया है उसकी अनुमति ज़िलाधिकारी महोदय से प्राप्त की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण हमें मालूम नहीं था कि इस निर्माण को प्राधिकरण से स्वीकृत कराना पड़ता है। प्रश्नगत स्थल महायोजना मानचित्र भाग-(ब) के अनुसार भू-उपयोग कृषि हरित पट्टी प्रस्तावित है। प्राधिकरण द्वारा शमन मानचित्र का परीक्षणोपरान्त शासनादेश सं-4752 दिनांक 01.11.04 के कम में फिलिंग स्टेशन / फिलिंग कम सर्विस स्टेशन में परिवर्तन शुल्क ₹0-9,52,425.00 दिनांक 02.08.06 जमा करायी जा चुकी है। शासनादेश के कम में फिलिंग स्टेशन/ फिलिंग कम सर्विस स्टेशन के सम्बन्ध में नगर एवं नियोजन विभाग के पत्रांक 398 दिनांक 22.02.08 द्वारा शमनित मानचित्र में मार्गाधिकार में इंगित प्रस्तावित निर्माण को हटाने संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने व पुस्ति उपरान्त शमनित करने की सहमति दी गयी है। अनाधिकृत निर्माण अभी हटाया नहीं गया है। इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रश्नगत निर्माण शमन करने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या-45(15)

निःशक्तजनो के बाधा रहित वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में ।

आयुक्त निःशक्तजन, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या-319 दिनांक 01.01.2008 के द्वारा निःशक्तजनो के बाधा रहित वातावरण तैयार करने के लिये निःशक्तजन अधिनियम 1995 (संलग्नक) के अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। इसके अनुपालन हेतु आवश्यक है कि प्राधिकरण के भवन उपविधि में आवश्यक संशोधन कर निःशक्तजनो के लिये बाधा रहित वातावरण तैयार किया जाय। अतः प्रस्ताव है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले कार्यालय भवन, शॉपिंग काम्पलैक्स, माल, बहु मंजिले आवास, आश्रम, धर्मशाला, होटल, सिनेमाघर, पार्क, सड़क, आबादी क्षेत्र के रास्तों व नाली आदि के निर्माण में अन्य तथ्यों के साथ ही निःशक्तजनो के आवागमन को सुलभ बनाये जाने की व्यवस्था का प्राविधान किया जाय।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या-45(16)

सौर जल तापक संयंत्र (Solar Water Heating System) लगाये जाने के सम्बन्ध में ।

बढ़ती आबादी एवं विद्युत खपत को कम करने की दृष्टि से उरेड़ा द्वारा सार्वजनिक भवनों एवं निज निवासों में विद्युत गिजर के स्थान पर सौर जल तापक संयंत्र (Solar Water Heating System) की स्थापना कराये जाने का सुझाव दिया गया है। इस सम्बन्ध में उरेड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (संलग्नक) के आधार पर अवगत कराना है कि सौर जल तापक संयंत्र को लगाने में वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों आदि से ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा नियमानुसार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है। संयंत्र के रखरखाव में भी प्रत्येक 03 से 05 वर्ष के बाद संयंत्र लागत का 5-7 प्रतिशत का व्यय आता है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा भी संयंत्र के उपयोगकर्ताओं को मासिक विद्युत बिलों में छूट का प्राविधान किया गया है। संयंत्र स्थापना के लिये आवश्यक है कि प्राधिकरण भवन उपरिधि में आवश्यक संशोधन करते हुये प्राधिकरण के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवासों, अस्पतालों, बहुमंजिले इमारतों, आश्रम, धर्मशालाओं, स्कूलों आदि में अन्य तथ्यों के साथ-2 सौर जल तापक संयंत्र लगाये जाने की व्यवस्था करायी जाय।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

44 वीं वोर्ड बैठक के अद सं - ।

46

संलग्नक :- 1

Haridwar Development Authority, Haridwar
Budget SEP .08

(Rs. In lac)

	Actual 2004-05	Actual 2005-06	Actual 2006-07	Actual 2007-08	Proposed 2008-09	Up to 30.09.2008
A Op. Balance	1461.05	307.90	281.19	13352.17	2219.79	2219.79
A Revenue Income						
1 stamp duty	98.14	134.56	256.86	191.69	300.00	361.29
2 Int. on investments	40.27	6.04	476.24	66.13	40.00	0.13
3 Map Fee	38.67	37.84	46.51	95.96	60.00	48.48
4 Comp. Fee	68.36	99.60	93.17	59.90	110.00	69.40
5 Supervision Fee	5.42	7.19	12.53	8.67	10.00	8.27
6 Grant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 Other Income (Tender, Leas rent E	3.87	1.71	3.41	5.43	10.00	2.44
8 Development Fee	96.05	100.05	152.42	218.69	225.00	101.81
10 Land use conv. Fee	0.00	25.33	44.71	15.62	80.00	32.25
9 Ambaar Fee	6.46	6.17	8.62	12.86	18.00	5.99
10 Free hold Fee	3.36	10.41	16.66	2.86	18.00	2.17
11 Maint. Fee of Harilok	1.58	2.27	3.08	1.96	4.00	0.82
12 Haritama Fee	11.30	12.33	17.25	25.73	25.00	11.98
13 Sale of Broucher	0.00	1.47	99.98	0.00	5.00	0.00
A Total Revenue Income	373.48	444.97	1231.44	705.50	905.00	645.03
B Capital Income						
1 Rishilok Scheme	4.86	5.90	2.30	4.16	2.00	0.15
2 Shivlok scheme	9.81	29.19	4.12	9.23	2.00	0.82
3 Harilok scheme	19.40	62.66	81.71	27.11	10.00	3.13
4 Shyamlok scheme	45.56	19.94	84.68	5.16	2.00	1.75
5 Ashray Yojana	4.66	3.88	4.19	4.42	5.00	2.72
6 Gayatrilok Scheme	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 BHEL grih nirman sahakari Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	0.00
8 T.P. Nagar, Haridwar	0.00	42.40	106.82	54.38	400.00	9.87

9	Indrlok Scheme	0.00	0.00	12200.98	939.61	1000.00	195.44
10	Loan (HUDCO & other financial ir	275.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
11	Recovery from staff for HBA & car loan						
	Etc.	1.77	0.80	1.12	1.13	1.50	0.29
12	deposit work (AKM, MLA nidhi Et	54.89	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
13	Return from S.L.O. (Harilok-2)	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
B Total Capital Income		478.36	164.77	12485.92	1405.20	3622.50	214.17
Total Income (A+B)		851.84	609.74	13717.36	2110.70	4527.50	859.20
Total Income including Openig b		2312.89	917.64	13998.55	15462.87	6747.29	3078.99
A Revenue Expenditure							
Establishment							
(i)	Staff salary & allowns	57.00	52.19	62.11	65.19	90.00	50.75
(ii)	T.A. bill	0.50	0.68	0.57	0.47	1.00	0.12
(iii)	Daily wegues	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	Encashment / pension Anshdan	0.00	1.96	1.12	0.55	5.00	0.00
(vi)	Mandey	0.00	0.00	0.23	0.01	0.50	0.00
(vii)	Medical Rembersment	0.00	0.00	0.01	0.00	2.00	0.00
Total (A)		57.57	54.91	64.04	66.22	98.50	50.87
2- Office / Misc. Exp.							
(i)	Postage Exp.	0.10	0.16	0.16	0.29	0.50	0.05
(ii)	Stationery	0.36	0.99	1.42	2.34	3.00	0.66
(iii)	Office maint.	3.29	2.21	3.26	1.05	20.00	1.32
(iv)	Chairman office maint.	0.78	1.80	2.84	0.97	3.00	0.46
(v)	Telephone Exp.	1.63	1.20	1.33	1.06	3.00	0.37
(vi)	Library	0.02	0.04	0.02	0.03	0.50	0.00
(vii)	Leagal Exp.	1.41	1.67	2.59	3.75	6.00	0.59
(viii)	Atithi Satkar	0.29	0.33	0.64	0.36	1.50	0.40
(ix)	Printing	0.01	0.44	0.65	0.12	1.50	0.19
(x)	Advertisement (Gen.)	0.00	0.95	0.98	6.60	10.00	2.98

(xi)	Advertisement (Tender)	2.40	4.81	0.00	7.50	10.00	2.16
(xii)	Audit Fee	2.96	2.35	1.87	0.00	10.00	6.83
(xiii)	Misc. Exp.	1.12	1.00	0.89	1.47	3.00	0.91
(xiv)	Employee Welfare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
(xv)	Maint. Of Machines	0.00	0.08	0.22	0.00	0.00	0.00
(xvi)	Maint of Electricity	0.26	0.14	2.22	1.81	7.00	0.19
(xvii)	Discr.	0.05	0.40	0.35	0.30	3.00	0.00
(xviii)	Temp. Addv.	0.15	0.71	-0.90	0.54	1.00	1.11
(xix)	Comp. Maint.	0.29	0.32	0.45	0.33	2.00	0.34
(xx)	Transfer of ambar Fee	3.36	0.89	0.00	0.00	8.00	0.00
(xxi)	Uttarnch Govt. Avas	0.00	1.10	0.48	0.00	1.50	0.00
(xxii)	Maint. In Harilok	0.00	0.47	0.49	2.57	5.00	3.30
(xxiii)	F.B.T. & Other Tex	0.00	0.71	0.91	18.54	30.00	0.43
Total (B)		18.48	22.77	20.87	49.63	130.00	22.29
3-	Vehicle						
(i)	Maint.	1.49	1.47	1.80	2.62	4.00	2.96
(ii)	Petrol / Diesel	4.67	6.50	8.47	5.93	10.00	4.38
	Total (C)	6.16	7.97	10.27	8.55	14.00	7.34
4-	Advance to Emp.						
(i)	Vehicle	0.00	0.00	0.26	0.00	3.00	0.00
(ii)	H.B.A	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	0.00
	Total (D)	0.00	1.00	0.26	0.00	8.00	0.00
5-	Master Plan	0.00	0.00	3.66	3.59	8.00	0.28
6-	Devt. Works (Grant)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-	City manager Asso.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	Total (E)	0.00	0.00	3.66	3.59	9.00	0.28
Total Revenue exp..(A+B+C+D+E)		82.21	86.65	99.10	127.99	259.50	80.78
Capital Exp.							
1	Purchase of Vehicle / Machine	0.40	3.91	6.32	0.00	12.00	9.69
2	Purchase of Comp.	0.00	0.00	1.02	6.36	10.00	0.57
3	Furnituere / fixture	6.47	0.92	0.54	8.00	10.00	0.43
4	Central Stre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (A)	6.87	4.83	7.88	14.36	32.00	10.69

5	Purchase of Land						
(i)	For New Scheme	1544.60	99.27	360.00	0.00	1500.00	0.00
	Total(B)	1544.60	99.27	360.00	0.00	1500.00	0.00
6	Devt./ const Works in Schemes						
(i)	Shivlok Scheme	0.06	0.30	0.00	0.19	0.50	0.00
(ii)	Shyamlok Scheme	8.00	2.40	2.25	0.00	2.00	0.21
(iii)	Harilok Scheme	0.00	0.00	0.88	0.00	2.00	0.00
(iv)	Repayment of loan	0.00	275.00	0.00	0.00	40.00	0.00
(v)	Int. on Loan	0.00	1.46	0.00	0.00	20.00	0.00
(vi)	Consultancy / Training Etc.	0.29	0.30	0.00	0.00	4.00	0.00
(vii)	Infrast. Devt. Fund Works	18.14	27.70	63.43	342.39	700.00	235.02
(viii)	Gayatriloc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ix)	Ashray / EWS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(x)	Deposit Works	246.76	58.14	39.58	0.00	500.00	0.00
(xi)	Haritama / Plantation	8.15	9.98	10.24	9.12	15.00	2.52
(xii)	T.P. Nagar Scheme	2.60	0.23	6.05	353.68	500.00	46.73
(xiii)	BHEL. Rehab. Scheme	85.63	68.33	7.40	0.00	50.00	0.00
(xiv)	BHEL.G. Nirman Samiti Scheme	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(xv)	Indralok Scheme	0.56	1.86	49.57	12395.35	500.00	40.13
	Indralok Scheme 2	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
(xvi)	Harilok phase -2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (C)	371.31	445.70	179.40	13100.73	2533.50	324.61
	Total Capital Exp.	1922.78	549.80	547.28	13115.09	4065.50	335.30
	Total Exp.	2004.99	636.45	646.38	13243.08	4325.00	416.08
	Closing Balance	307.90	281.19	13352.17	2219.79	2422.29	2662.91

संख्या ५१६ / V-आ०-२००८-११२(आ०) / ०६

प्रेषक,

गरिमा रौंकली,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

आवास अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक २६ मार्च, २००८

विषय : स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्राउलिंग के भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-जी०ई० / ८३९१ / XXXV-२ / २००८, दिनांक २५ मार्च, २००८ की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की सरस्तुते सहित सुरपष्ट प्रताव/अभिमत तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

०५

संलग्नक—यथोक्त।

ममदीय,

नृ०
(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।

संख्या(1) / V-आ०-२००८-तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
१. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या-जी०ई० / ८३९१ / XXXV-२ / २००८, दिनांक २५ मार्च, २००८ के कम में सूचनार्थ।
 २. श्री एस०एस० रावत, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्नेह सोनिया, इण्टरनेशनल होटल, अलकनन्दा कालोनी, खुशालपुर, मुरादाबाद।

आज्ञा से,

(एस०एस० पंत)
अनु सचिव।

१५/३/०८
१५/३/०८
१५/३/०८

न्यायालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, शिविर देहरादून

माल संख्या: 5/2006-07

एप्रिल

मैसर्स सोह सोनिया इन्टरनेशनल होटल्स प्राइलि० बनाम हरिद्वार विकास प्राधिकरण।

निर्णय

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के पत्रांक: मेमो/मान०/निर्ण०/17/2006-07 12-014
20-7-06, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, के अनुलेख योग्य।
इस अपील में प्राधिकरण की ओर से किसी के उपस्थित न होने पर एकपक्षीय कायदाहों के अनुसार
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा प्राधिकरण की संबंधित मानवित्र पत्रावली का
अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अनुसार अपीलार्थी द्वारा ऋषिकेश में बद्धीनाथ मार्ग पर एक भूखण्ड पर हाटल
निर्माण हेतु मानवित्र सं० 17 वर्ष 2006-07 प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण द्वारा
उक्त मानवित्र इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि प्रस्तुत भवन मानवित्र के स्थल का भूउपयोग
महायोजना 2011 भाग-ब के अनुसार कृषि हरित पट्टी के अन्तर्गत स्थित है और प्रस्तावित निर्माण गंगा
नदी की ओर होने के कारण उक्त स्थल पर रोड लेविल से ऊपर निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती
है। इस अस्वीकृति के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा पुनः एक प्रार्थनापत्र दिनांक 16-9-06 प्राधिकरण को प्रेषित
किया गया जिसमें उल्लिखित किया गया कि शासनादेशानुसार भूउपयोग परिवर्तन की व्यवस्था है और
प्रस्तावित होटल निर्माण गंगा नदी से 500-600 मीटर की दूरी पर स्थित है जबकि रोड लेविल से ऊपर
निर्माण पर प्रतिवन्ध केवल 200 मीटर की दूरी तक ही लागू है। इसके उपरान्त प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी
को पुनः आश्वेषित पत्र दिनांक 20-7-06 की प्रति प्रेषित की गई, जिसके विरुद्ध यह अपील योजित की गई
है।

अपील के पैरा-5 तथा 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन
था कि प्रश्नगत मानवित्र की अस्वीकृति हेतु प्राधिकरण द्वारा भूउपयोग, रोड लेविल से ऊपर का निर्माण
तथा स्थल के अनधिकृत कालोनी में स्थित होने के जो आधार लिये गए हैं उनका निराकरण अपीलार्थी द्वारा
पूर्व ही अपने पत्र दिनांक 16-9-06 को कर दिया गया था। इसके बावजूद प्राधिकरण ने पत्र दिनांक
16-9-06 का संज्ञान न ले कर पुनः पूर्व जारी पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए मानवित्र अस्वीकार कर दिया
है। अधिवक्ता का तर्क था कि अपीलार्थी द्वारा होटल निर्माण के लिये भूमिकी की भूमि का क्य किया गया
है अतः वह कैसे अनधिकृत कालोनी में हो सकती है। इसके अतिरिक्त रोड लेविल से ऊपर के निर्माण पर
से अधिक की दूरी पर स्थित है। अधिवक्ता का कथन था कि प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी की भूमि के निर्माण
ही एक ले०५० आर०सी०कुकरती की भूमि पर भवन मानवित्र स्वीकृति किया गया है। ऐसी स्थिति में
अपीलार्थी का मानवित्र अस्वीकृत किया जाना चायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण

प्राधिकरण की संबंधित मानवित्र पत्रावली का अवलोकन किया गया। जहाँ तक अपीलार्थी
के प्लॉट के अनधिकृत कालोनी में स्थित होने एव उक्त कालोनी के सभूमि में प्राधिकरण स्तर पर वाद सं०
83/05-06 विचाराधीन होने का प्रश्न है तो यह बिन्दु अपीलार्थी के मानवित्र स्वीकृति हेतु कोई
आधार प्रदान नहीं करता। स्पष्ट है कि अवैध कालोनी ऐसे सभूमि के संबंधित हैं जिसकी प्राधिकरण से
स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई जबकि अपीलार्थी द्वारा सदभावी रूप से भूमि का क्य कर रहा है पर निर्माण की
स्वीकृति हेतु मानवित्र प्रस्तुत किया गया है। अतः इस मानवित्र प्रकरण को अवैध कालोनी के प्रकरण से
संयुक्त किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता।



45वीं बोर्ड बैठक के भाव सं-12

संलग्नक - 3

संख्या-2810 / 9-आ-1-98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,

उ०प्र०।

2. आयुक्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्,

लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 23 सितम्बर, 1998

विषय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन याचिका संख्या 21552 / 97 के सन्दर्भ में नदियों को प्रदूषण से दबाने के लिए नव विकसित कालोनियों में सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्राधिकरण/ आवास विकास परिषद्, नव विकसित कालोनियों के "ले-आउट प्लान" के अनुमोदन के पूर्व कालोनी के सीवेज, ड्रेनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करे तथा यह भी सुनिश्चित करे कि सीवेज/ ड्रेनेज उचित ट्रीटमेंट के पश्चात ही नादियों में छोड़ा जाय। इस कार्य हेतु "सर्विसेज" का "मास्टर प्लान" जल निगम, प्राधिकरण के परामर्श व इनकी आर्थिक सहायता से बनायेगे।

2— इसके अतिरिक्त गंगा नदी तट पर वसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमत्य न की जायें।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या-2010 / 9-आ-1-98, तददिनांक ।

- प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता (गंगा) एवं नोडल अधिकारी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जल निगम को तदनुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राज कुमार सिंह)
अनुसचिव

1698

15
R. 5/21

170

ATO 4503 | 9-335-

加爾西亞·馬拉加，
祖國。

卷之三十一

L. GRIFFITHS

لیکن این دستورات را می‌توانند در مورد این اتفاقات مذکور نداشتن از آنها بگذرانند.

१०. अपराह्ना,
लगस्ता विलाया ग्राम्यवाटण, असार प्रदेश।

७. गुरुख्य नगर एवं श्राव तिथोऽदा,
नगर एवं श्राव तिथोऽदा विमाण, ३० प्र०,

JOURNAL OF CLIMATE

ଶ୍ରୀମତୀ : କିମ୍ବାନ୍ଦିତା : ଅସ୍ଥୟକୁ 16 ପଠେ

अप्रिया ने अपने अपार्टमेंट के बाहर आया और उसे देख लिया। वहाँ के लोगों के रुख वहाँ के भिन्नतर चीज़े जगहीय बोले में विकसित होने वाले गवाहोंको को लकड़पट गवाहोंको अलगीदार जै पूर्व घड़ दृग्दिशदा होने आवश्यक है ऐसे लकड़ी के गवाह एवं गवाहों में गवाही प्रदूषित करने वाला उपीकूल दृग्दिशदा के अवश्यकता की उम्मीद नहीं होती।

ऐसे संकेत जैसे नहीं हैं, यह अपेक्षा इसमें विभिन्नी गीताएँ हों जिनके अनुसार आवाज़ बदलती हो।

• 楊國強：「我對中國的前途充滿希望，但對香港的前途卻沒有希望。」

卷之三

• 151 •

1118-256 1955 Jan 1955 -5- 30 A-40

卷之三

१२६ विद्यार्थी अवृत्ति ।

C. M. L. T. T. R. 2011

• 112 •

ରାଜ୍ୟ ଶାଖାମଧିକ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଏ ଅର୍ଥକାଳ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ।

अनुवाद अधिकारी

प्रति

अल्पते कुमार गुप्ता

सामन्वय

सभार प्रदेश शासन

मत में

गुणवत्त

ममगम चिकाम ग्राम्यकरण

उत्तर प्रदेश

(१) आवास आवृक्ति

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्

लम्बनडू

(२) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

नगर एवं ग्राम नियोजन निपाल

उत्तर प्रदेश लम्बनडू।

आवास अनुभाग ३

लम्बनडू : दिनांक १५ फरवरी २०००

:

चाप्य : गंगा नदी तट पर यह नगरों में किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार का गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने के प्रतिवर्त्तन का शिथिल किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय

उपर्युक्त चिप्पक शासनादेश मंड्या २८१०/९ आ १९८ दिनांक २३ मितम्ब्र १९९८ ग्रा शासनादेश मंड्या ५५०३/९ आ १९८ दिनांक १६ नवम्बर १९९८ की आग आपका ध्यान आकर्ष रखते हुए मुझे यह कहने का लिया हआ है कि उपर्युक्त शासनादेशों के प्रस्तर-२ में गंगा नदी तट पर यह नगरों में किनारे से २०० मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियां अनुमन्य न किये जाने का निर्णय लिया गया था। शासन द्वारा इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपणात् यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्रत्यक्ष वर्त्तन धार्मिक शब्दों आश्रम एवं सार्वजनिक सुविधाओं के हित में किये जा रहे अन्य निमाण कार्यों के लिए निम्ननिम्नित शर्तों के माध्यम से शिथिल कर दिये जाने जाएँ।

(१) हासिल पट्टी के अनुसार भूगण्डे के १० प्रतिशत में अधिक भाग पर निर्माण अनुमन्य न होगा। यहां पर आर । १ प्रतिशत में अधिक न होगा। परन्तु ऐसे धारानियों में इम्यु कम अनुमन्य न होना ही अनुमन्य होगा।

(२) इनजे सीधे गंगा नदी में नहीं अवमुक्त किया जायगा। वरन् अन्य जलों आदि में ले जाने के लालग्राह की जानी जायगी।

(३) यदि अत्र में सावज व्यवस्था नहीं है तो निर्वासन ध्यान/ शर्मशाला आदि का प्रयोगन में अनुमन्य नहीं की जायगी। ताकि गंगा नदी में मत्त जल जान प्राप्त

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 23.०७.१९९४ परं दिनांक 16.11.1998 को यथा ग्राम
तक संगीर्णित समझा जाए।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)

मन्त्रिव

मंड्या ३२०११/७ आ ३/२००० १२७ काम्प/७७ नदि दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मृचनाथं पावं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(१) मंड्या अधियंता(गंगा) पावं नोट्टल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।

(२) मन्त्रिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग ।

(३) उपाध्यक्ष, समस्त विधायक शब्द विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा मे

(जावेद एहतेशाम)

उप मन्त्रिव

कायालय हरिहरा विकास प्राधिकरण, हरिहरा

पत्रोक ३७८/गाड़ फाईल/२००० २००१ दिनांक 15.०५.२०००

उपर्युक्त वर्णित शासनादेश मंड्या ३२०/७ आ ३/२००० १२७काम्प/७७ दिनांक 05.02.2000 को फाई
लिपि निम्नलिखित को मृचना पावं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

नगर नियोजक/अधिकारी अधियंता/महायक नगर नियोजक/समस्त अधियंता/मान्यता
अनुभाग/समस्त वाद लिपिक ।

६०/अप८०

मन्त्रिव

प्रकृति

भूतुल कृष्ण गुरुना

मन्त्रिवाल

उत्तर प्रदेश शासन।

मता में

(1) उपाध्यक्ष

मममत विकास प्राधिकरण।

उत्तर प्रदेश।

(2) आवास आयुक्त,

आवास एवं विकास परिषद्

लखनऊ।

(3) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग ३

लखनऊ, दिनांक: 31 जुलाई 2000

निपय: गंगा नदी नट पर बमे नगर में किनारे में 200 मी० तक किसी भी प्रकार की निर्विधियों अनुपात न किये जाने के प्रतिवन्ध को शिथिल किये जाने के मध्यम में।

महादय

उपर्युक्त विपर्यक भाष्मनादेश मंड्या ३२०/१ आ ३ २००० १२७ काल्प/७७ दिनांक ३ फरवरी २००० की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने हुए मृड़ यह कहने का निदेश दुआ है कि गंगा नदी तट के किनारे २०० मी० तक लगाय जाने वाले प्रतिवन्धों को पृथग्भूमि गंगा नदी के प्रदृशण में बचाने को है दृग्गे आगे यह भी तथ्य है कि वागणमी व हरिद्वार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल गंगा के तट पर हैं और वहाँ गंगा नदी तथा उमके तट पर धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हुए मठ एवं आश्रम वहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इन भवनों जा सावंजनिक सुविधाओं का ही एक भाग है को पृष्ठतः प्रतिवन्धित किया जाना उपर्युक्त न हारा परन्तु गंगा नदी को प्रदृशण में बचाने के लिए भी समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में शासनादेश दिनांक ०५ फरवरी, २००० द्वारा गूर्व में किया गया शिथिलीकरण के स्थान पर यह निर्णय निया गया है कि गंगा नदी के किनारे ऐसे स्थानों का जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़े हैं जहाँ का स्वरूप प्रमुखतः तीर्थ है वहाँ पर मठ, आश्रम, मंदिर, निर्माण क्रतिपर्य शर्तों के साथ अनुमन्य कर दिया जाए। यह शर्त निम्न प्रकार में होगी:

- (१) भू अच्छादन ३५% तथा उन्न सेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०) १.५ सार्वजनिक सुविधाओं के अनुरूप ही अनुमन्य हो।

- (२) आवदक का भवन मानचित्र अनुमोदन के आवदन के माथ एक योजना प्रस्तुत करना भए
जिसमें सुनिश्चित हो कि गंगा नदी का प्रदूषण नहीं होगा।
- (३) इनज सीधे नदी में अवमृक्त नहीं किया जायगा वर्त्क अन्य नालों आदि में ले जान के
व्यवस्था करनी हमी।
- (४) यदि क्षेत्र में सीवरेज ल्यवम्था नहीं है तो निवास स्थान / धर्मशाला आदि उन प्रयोजन के
अनुमन्य नहीं की जायगी ताकि नदी में मल आंदे न जान पाय।
- (५) यह योजनाधिकार जल निगम/ जल मंस्थान अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकार न पाए
जाने पर नियमानुमार मानचित्र स्वीकृत किया जायगा।

पूर्व निर्णत शासनादेश दिनांक 05 फ़रवरी 2000 यथा सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

(अतुल कुमार गुप्ता)

मन्त्रिव

मंस्था 124 सं0एम0(1)/७ आ ३ २००० तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को मृच्चनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः

- (१) मुख्य अधिकारी (गंगा) नाडल अधिकारी, ३०प्र० जल निगम लखनऊ।
- (२) मन्त्रिव, नगर विकास विभाग, ३०प्र० शामन।
- (३) उपाध्यक्ष, मममत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ३०प्र०।

आज्ञा म

(जावद एहतेशाम)

उप मन्त्रिव

कार्यालय, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

पत्रांक: ७४/प्रशा० २(ख) ७/२००० ०१ दिनांक मितम्बर २०००

कार्यालय आदेश

८८

उपरक्त संदर्भित शामनादेश मंस्था 124 दिनांक ३१ जूलाई २००० का अनुपालन मुर्मित
करें।

उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि: नगर नियोजक अधिशासी अधियंता/व०व्रि० एवं लख्नाधिकारी/स०नि०नि०/समस्त महायक
अधियंता

प्रेस,

क्षी भुजल कुमार गुप्ता,
तथिव,
उत्तर प्रदेश आवास।

आवास

१- आवास आयकत,
उ०प० आवासै एवं विकास परिवर्द्ध
लखनऊ।

२-उपाय
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

३- मध्य नगर स्टंग ग्राम नियोजक
भैगर स्टंग ग्राम नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

॥ अप्र०

आवास अनुभाग-३

लखनऊ: दिनांक: १०-३-२००१

विषय:- गंगा नदी के तट पर इसे नगरों में किनारे से 200मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमत्य न किये जाने के प्रतिबन्ध जा शिथिलीकरण।

मटोट्य,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के गणनाव्यक्तियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि शासनादेश नंदेश ४५०३/९-आ-१-१९९८ दिनांक १६. ११. १९९८ द्वारा गंगा नदी तट से ३०० मीटर डेक्कर में किसी भी प्रकार की गतिविधियों को अनुमत्य न किये जाने का प्रतिबन्ध लागू किये जाने से गंगा नदी के तट पर इसे नगरों में यह समस्या उत्पन्न होती है कि गंगा तट पर स्थित प्राचीन झज्जरों को प्राचीन स्टंग जीणों द्वारा के दार्ढों के लिए भी अनुमति नहीं दी जा रही है ऐसे प्राचीन झज्जरों में इन्हें हरिदेव भवन भी सम्मिलित हैं, जिनका संरक्षण करना राज्य सरकार की प्रमुख नीति के अन्तर्गत आता है और इस सम्बन्ध में द्वारा तरकार द्वारा भव्यता पर निर्देश गये सुझावानुसार विशिष्ट व्यवस्था भी को जा रही है। शासन के संज्ञान में

मृत नदी को देखा गया है तो वहाँ यह यह ऐसे लिखा है।
 हेरिटेज भवन है उनको बतायें, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व का भवन है जुड़े हैं और यह इस भवन के अवधारणा, रक्षणात्मक अभियान का भवन है। लिस उक्त प्रतिबन्ध लागू रखा गया तो ग्रन्थालय को संरक्षित कर दिया जाएगा।

अतः गंगा नदी के किनारे स्थित प्राचीन भवनों, हेरिटेज भवनों के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्बन्धित प्रतिबन्ध यह निर्णय लिया गया है कि सामान्य भेणी के सभी निर्मित भवनों की प्रशंसन एवं जीणोंद्वारा से सम्बन्धित सभी कार्य अनुमन्य किए जाय अन्यथा ऐसे कार्य बिना अनुमति के होंगे और उन्हें रोके जाने पर प्रतिरोध होगा। इसके अतिरिक्त इस ट्रॉफट ते को प्राचीन संस्कृति की अद्विष्टा को बचाये रखा जाना आवश्यक है अतः यह हेरिटेज भवनों के संरक्षण के सम्बन्ध में "इन्टैक" INTACH के परामर्श से इर्ष्या अनुमन्य किये जायं।

परन्तु उक्त पर अनुमति देने ते पूर्व यह तूनिशिल्ड करता आवश्यक होगा कि इन भवनों में सीवरेज को ऐसी व्यवस्था है कि उसका निष्ठारण नदी में न करते हुए नगर की नोदर व्यवस्था के माध्यम से है। जहाँ सीवर निष्ठारण की ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ ऐसी व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यों को ऐसी इस प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जाना आवश्यक होगा।

शासनादेश दिनांक 16.11.98 द्वारा मंगा नदी तट पर 200मीटर सीमा में निर्माण सम्बन्धी प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक शिथिल/तंसीधित समझा जाय।

भवदीय,
३२५/८

अनुल कमार गुप्ता
संचिव।

संछया: ४५० ११/९-आ-३-२००१-तददिनांक।

- 1 - प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित मुख्य अधिगता-गंगा/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ संचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 - उपाध्यक्ष, समस्त विभाग ऐवं विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 3 -

45वीं वोर्ड बैठक के नद सं.-15

संलग्नक:— ४

विधिक सं० १९ / आ०नि० / २००८

दिनांक ११.८.२००

प्रेषक

आयुक्त, निःशक्ताजन, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में

1. अध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण, गढ़वाल मण्डल,
पौड़ी गढ़वाल /
कुमायू मण्डल, नैनीताल।
 2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण 

नोटिस / रिमाइंडर

अन्तर्गत धारा 18(2)(a)(f)निशःक्तजन समान
अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता
अधिनियम 1995.

महोदय

निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनेयम 1995
के अन्तर्गत आपको इस आशय से वैधानिक सूचना पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि
निःशब्द जांगों के बाधा रहित आवागमन हेतु बाधा रहित वातावरण के निर्माण की
संवैधा नेक जिम्मेदारी है। अगर इस सूचना पत्र का का समयावधि के अन्दर अनुपालन
नहीं होता : तो आपके विरुद्ध वाद योजित कर कार्यवाही की जायेगी, जिसके समस्त
हर्जे— वे व जिम्मेदारी आपकी होंगी।

- पहुंचापका निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अनुपालन में अवगत कराना है कि 1. श्रावजनों के बाधा रहित वातावरण के निर्माण की सदैधानिक जिम्मेदारी आपको है। इस हेतु समस्त सार्वजनिक कार्यालयों/भवनों/पार्क/सड़क को बाधा रहित बनाये जाने हेतु उपाय किये जाने हैं। इस कम में आवास व नगर विकास विभाग द्वारा नये निर्माणों में ऐसे प्राविधानों को सुनिश्चित करने हेतु

अध्याय—10

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु मानक

10.1 परिभाषाएं

10.1.1

पंगुता-गत अशक्तताएं - ऐसी विकृतियाँ, जो किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के प्रकट रूप में सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए पहिएदार कुर्सी पर निर्भर बना देती है।

10.1.2

अर्द्ध-पंगुता अशक्तताएं - ऐसी विकृतियाँ जिनके कारण व्यक्तियों को चलने-फिरने में कठिनाई अथवा असुरक्षा महसूस होती है, लाठी, बेत या बैसाखियों के सहारे चलने वाले व्यक्ति, गठिया रोगी, दिमागी जड़ता से ग्रस्त व्यक्ति तथा दिल के मरीज अर्द्ध-पंगुता अशक्तता श्रेणी में आते हैं।

10.1.3

श्रवण शक्ति की अशक्तता - बहरापन या ऊँचा सुनाई देने का रोग, जिससे ग्रस्त व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर चेतावनी संकेतों को बताने या सुनने-समझने में असमर्थ होने के कारण असुरक्षित महसूस करता है।

10.1.4

दृष्टि अशक्तता - पूर्ण अन्यापन या दृष्टि कमज़ोर होना, जिससे ग्रस्त व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने और काम करने में असुरक्षा या खतरा महसूस करे।

10.1.5

पहिएदार कुर्सी - यह कुर्सी, जो व्यक्तियों द्वारा चलने-फिरने के लिए प्रयोग में लाई जाए, पहिएदार कुर्सी का मानक आकार 1050×750 मीटर का होगा।

10.2 व्याप्ति प्रभाव

यह उपविधि सभी जन उपयोगी भवनों, सार्वजनिक सुविधा स्थलों पर प्रभाव होगी। यह उपविधि निजी व सरकारी आवासों पर लागू नहीं होगी।

10.3 स्थल विकास

ऐस्या मानचित्र में सड़कों के तल, प्रवेश पथ व पार्किंग स्थलों जा अलग-अलग रगों में उत्तरेख किया जाएगा।

10.3.1 प्रवेश पथ / उप-पथ

भवन परिसर द्वारा तथा भूतल पार्किंग से भवन के प्रवेश द्वारा तक पथ समतल, सीढ़ियां रहत और न्यूनतम 1.8 मीटर चौड़ा होगा। यदि कोई ढलान बनाई जाती है तो उसकी ढाल 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। फर्श निर्माण में ऐसी सामग्री का इतेमाल किया जाएगा जो कमज़ोर नज़र वाले व्यक्तियों को भली-भांति प्रेरित या निर्देशित करने वाली है। (यह फर्श सामग्री रखी रहीन होगी, जिसका रंग एवं चमक आस-पास के क्षेत्र की सामग्री से भिन्न हो और जिसमें कमज़ोर नज़र वाले व्यक्तियों के पथदर्शन के लिए भिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों का प्राविधान हो, जिसका विवरण "पथदर्शी फर्श सामग्री" (अनुलग्नक-1) में दिया गया है) धरातल फिसलन रहत होगा तथा उसकी बनावट ऐसी होगी जिस पर पहिएदार कुर्सी आसानी से चल सके, जो भी मोड़ बनाए जाएंगे, सामान्य धरातल के अनुरूप होंगे।

10.3.2 पार्किंग स्थल

विकलांग व्यक्तियों के लिए वाहनों की पार्किंग हेतु निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी :—

- (क) अशक्त व्यक्तियों के वाहनों कि लिए परिसर प्रवेश के निकट दो कारों के लायक भूतल पार्किंग बनाया जाएगा जो भवन के प्रवेश द्वार से अधिकतम 30 मीटर की पैदल दूरी पर होगा।
- (ख) पार्किंग जगह की न्यूनतम चौड़ाई 3.6 मीटर होगी।
- (ग) उस स्थान के "पहिएदार कुर्सी प्रयोगकर्ताओं हेतु आरक्षित" होने की सूचना बड़े / साफ अक्षरों में लिखी जाएगी।
- (घ) पार्किंग स्थल पर ऐसा कोई संकेत या यन्त्र लगाया जाएगा जो कमज़ोर नज़र वाले व्यक्तियों के मार्गदारीन हेतु ध्वनि सूचना देने वाले अथवा इसी प्रयोजन वाली कोई अन्य व्यवस्था की जाएगी।

10.4. भवन सम्बन्धी अपेक्षाएं

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए भवन सम्बन्धी संगत सुविधाएं इस प्रकार होंगी :—

- (I) कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग
- (II) विकलांगों के लिए प्रवेश / निकास द्वारा को जोड़ने का गतियारा
- (III) सीढ़ी मार्ग
- (IV) लिफ्ट
- (V) शौचालय
- (VI) पेक्जल

10.4.1 कुर्सी तल तक पहुँच मार्ग

प्रत्येक भवन में वकलांगों के आने-जाने के लिए एक प्रवेश द्वार अवश्य

होना चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से सेकेतों के साथ दर्शाया जाना चाहिए। इस प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए ढलान—सह सीढ़ीदार रास्ता बनाया जाएगा।

10.4.1.1 ढलानदार पहुँच मार्ग / भवन में प्रवेश हेतु ढलान तल खुरदरी सामग्री से बनाया जाएगा। ढलान की चौड़ाई अधिकतम 1:12 ढाल देते हुए न्यूनतम 1.8 मीटर होगी। ढलान की लम्बाई 9.0 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा इसके दोनों किनारों पर 0.8 मीटर ऊँची रेलिंग होगी जो ढाल के ऊपरी व निचले सिरे से 0.3 मीटर बाहर निकली हुई होगी। निकट की दिवाल से रेलिंग के बीच 5.0 सेंटीमीटर तक का फासला होगा।

10.4.1.2 सीढ़ीदार पहुँच मार्ग / सीढ़ीदार पहुँच मार्ग हेतु पैड़ी (सीढ़ी पर पैर रखने की जगह) 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी और पैड़ी की ऊँचाई 15 सेंटीमीटर तक की होगी। ढलानदार पहुँच मार्ग की ही तरह सीढ़ीदार प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ 80 सेंटीमीटर की ऊँची रेलिंग लगाई जाएगी।

10.4.1.3 प्रवेश / निकास द्वार / प्रवेश द्वार का न्यूनतम फाट (खुलाव) 90 सेंटीमीटर होगा तथा क्षील चेयर के आसान आवागमन की दृष्टि से उसमें कोई पैड़ी-पायदान नहीं होगा। दहलीज 1.2 सेंटीमीटर से अधिक उठी हुई नहीं होगी।

10.4.1.4 वाहन से उतरना-चढ़ना / वाहन से उतरने-चढ़ने का स्थल ढलान के निकट रखा जाएगा, जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8×2.0 मीटर होगा। ढलान से संलग्न उतरने-चढ़ने का स्थल ऐसी फर्श सामग्री का होगा, जो कमज़ोर नजर वाले व्यक्तियों को प्रेरित / निर्देशित कर सके (यह फर्श सामग्री रंगीन होगी, जिसका रंग एवं चमक आस-पास के क्षेत्र की फर्श सामग्री से भिन्न हो, जिसमें कमज़ोर नजर वाले व्यक्तियों के पथ दर्शन के लिए भिन्न प्रकार के ध्वनि सेकेतों का प्राविधान हो, इसे अनुलग्नक-1 में "पथदर्शी सामग्री" कहा गया है)।

10.4.2 विकलांगों हेतु प्रवेश / निकास द्वारों को जोड़ने वाला गलियारा

विकलांग हेतु प्रवेश / निकास द्वारों को जोड़ने तथा सीधे बाहर की ओर उस स्थान तक ले जाने वाला गलियारा, जहाँ कमज़ोर नजर वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित भवन के उपयोग की जानकारी हो या किसी व्यक्ति द्वारा या सेकेतों द्वारा मुहैया कराई जा सकती हो, इस प्रकार का होगा—

(क) उसमें कमज़ोर नजर वाले व्यक्तियों के दिशा निर्देशन हेतु तल पर ही "पथदर्शी" ध्वन्यात्मक व्यवस्था की जाए या कोई यन्त्र लगाया जाए, जिससे ध्वनि संकेत दिए जा सकें।

(ख) गलियारे की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होगी।

(ग) ऊँचा-नीचा तल बनाए जाने की स्थिति में 1:12 ढाल वाले ढलान बनाए जाएंगे।

10.4.3 सीढ़ीदार मार्ग

- (घ) ढलानों / ढलान मार्गों पर रेलिंग लगाई जाएगी।
सीढ़ी वाले मार्ग से विकलांगों हेतु प्रवेश / निकास द्वार के निकट के मार्ग में निम्नलिखित प्राविधिक होंगे :—
- (क) न्यूनतम चौड़ाई 1.35 मीटर होगी।
- (ख) सीढ़ी की ऊँचाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेमीटर तथा 30 सेमीटर से अधिक नहीं होगी और पैदी के सिरे चिकने नुकीले नहीं होंगे।
- (ग) एक उठान (Single Flight) सीढ़ी में 12 से अधिक सीढ़ियाँ नहीं होंगी।
- (घ) सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगाई जाएगी तथा ये पूरी सीढ़ी पर ऊपर से नीचे तक 30 सेमीटर बाहर निकली हुई होंगी।

10.4.4 लिफ्ट

- जहाँ कहीं उपविधि के अनुसार लिफ्ट आवश्यक है, वहाँ कम से कम एक लिफ्ट पहिएदार कुर्सी प्रयोक्ता हेतु होगी। भारतीय मानक व्यूरो द्वारा 13 व्यक्तियों की क्षमता वाली लिफ्ट के लिए सस्तुत ढांचा इस प्रकार होगा :—
- | | |
|------------------------|----------|
| आन्तरिक गहराई | 1.1 मीटर |
| आन्तरिक चौड़ाई | 2.0 मीटर |
| प्रवेश द्वार की चौड़ाई | 0.9 मीटर |
- (क) फर्श तल से 1.0 मीटर ऊपर नियन्त्रण-फलक के निकट 0.6 मीटर त्री रेलिंग लगाई जाएगी।
- (ख) लिफ्ट वैल की आन्तरिक माप 1.8×1.8 मीटर से कम नहीं हो।
- (ग) लिफ्ट द्वार के स्वचालित रूप से बद्द होने का न्यूनतम समय 5 सेकण्ड होगा तथा बद्द होने की गति 0.25 मीटर प्रति सेकण्ड से अधिक नहीं होगी।
- (घ) लिफ्ट के अन्दर धनि संकेत लगे होंगे जो लिफ्ट पहुँचने वाले तल तथा लिफ्ट के बाहर-भीतर जाने आने हेतु लिफ्ट द्वार के खुलने या बद्द होने का संकेत देंगे।

10.4.5 शौचालय

- शौचालय सैट में एक कमोडार शौचालय विकलांगों के लिए होगा, जिसमें विकलांगों की सुविधा के अनुसार शौचालय द्वार के निकट वाश लंसन होगा।
- (क) शौचालय का न्यूनतम आकार 1.5×1.75 मीटर होगा।

(रु) 10.4.6 पेयजल

द्रव्याच बाहर को छुनने वाला होगा तब इसकी नमूना चॉइस 90 सेटीमेटर होगा।

(ग)

शौचालय में दीवार से 5.0 सेटीमेटर की दूरी पर अच्छी तरह छड़ी / सपानाना / रेलिंग लगी होगी।

(घ)

कमोड की गोट फर्श से 50 सेटीमेटर लंबी होगी। विकल्पों के लिए पेयजल की व्यवस्था उनके इस्तेमाल वाले शौचालयों के निकट ही की जाएगी।

10.4.7 बच्चों के लिए भवन को डिजाइन

पूर्णतः बच्चों के उपयोग के घरों (बाल घरों) में बच्चों के कट आदि को ध्यान में रखकर रेलिंग व सजावटी सुविधा सप्लाई की ऊर्जा में प्रभाव बढ़ाव देना चाही होगा।

45वीं वोर्ड बैठक के मद सं-१६ संलग्नक-५

कृत्य

-2-

5- उत्तरांचल राज्य में हाईमार्ट लाईटें न लगायी जाये। रक्षा संस्थानों को सुरक्षा को दृष्टिकोण से बदल दिया जाये। नगर निवासों में स्ट्रीट लाईट लाई व्यवस्था हेतु पृथक लाईन रखालित रियलेन्यू/मानव चालित रिलिंग आदि की व्यवस्था इस प्रकार की जाये ताके रांबधित स्ट्रीट लाईटें दिन के समय चालू न रहे एवं रात्रि में भी न्यूनतम विद्युत व्यय पर ईष्टतम प्रकाश की व्यवस्था हो राके। इस संबंध में राजि के विभिन्न पहरों में प्रकाश और लागभग सात्साहा ऐसु प्रदीप लाईट में विभाग भोजन के लक्षण रोगीला खानापान के भिन्न-भिन्न प्रकाश मात्रा यथा बीच में एक-एक स्ट्रीट लाईट छोड़ते हुए प्रकाश व्यवस्था जारी हेतु समुचित तकनीकी व्यवस्था की जाये।

6- सभी आवासीय एवं अनातासीय भवनों में जहाँ ऐसी आवश्यकता होती है तो ऊर्जा चालित उष्ण जल रायत्रों (सोलर वाटर हीटर) का प्रयोग करने के लिए ऐसे रायत्रों की स्थापना की जाये।

उपरोक्त आदेशों की परिपालना तत्काल प्रभाव रो की जाये तथा इसे ऐसु विभागीय बजट में यथा आवश्यकता व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उल्लेखनीय है कि राज्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु विद्युत सुरक्षा विभाग को नोडल विभाग (Designated agency) घोषित किया गया है। अतः इस संबंध में उनका परामर्श प्राप्त किया जा सकता है जबकि रोलर वाटर हीटर आदि वैकल्पिक ऊर्जा रायत्रों ऐसु उत्तरांचल जारी उनी विकास अभियान (उरेडा) से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

महाराजा

(पुराणकोटीनगर)
मुख्य सचिव।

संख्या ४३ (R)/ १/ 2006-05/ 100/ 2002 तंत्र दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेक्षिता -

- 1-- महालेखाकार उत्तरांचल।
- 2-- समरत कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
- 3-- उत्तरांचल राज्य के समरत निगमों, संस्थानों, परिषदों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
- 4-- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल, देहरादून।
- 5-- गार्ड फाईल।

अप्र०

26/

(डॉ० इमरानी० जोशी)

अपर सचिव।